NHPC Ltd
NHPC Office Complex,
Sec-33,
Faridabad - 121003
(A Government of India Enterprise)

संस्था के बहिर्नियम

एवं

अंतर्नियम

(Updated for amendments upto 27.09.2018)

Form I. R.

CERTIFICATE OF INCORPORATION

No. 7967 of 1975-76

I hereby certify that NATIONAL HYDRO ELECTRIC POWER CORPORATION ~~PRIVATE~~ LIMITED is this day incorporated under the Companies Act, 1956 (No. 1 of 1956) and that the Company is Limited.

Given under my hand at NEW DELHI

this (SEVENTH) (16th) day of NOVEMBER (KARTIKA)

One thousand nine hundred and SEVENTY FIVE (SAKA-1897)

Registrar of Companies Delhi & Haryana

(S. KUMAR)
Registrar of Companies
DELHI & HARYANA.

भारत सरकार-कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय
कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

नाम परिवर्तन के पश्चात नया निगमन प्रमाण-पत्र

कॉर्पोरेट पहचान संख्या : U21015HR1975GOI032564

मैसर्स NATIONAL HYDROELECTRIC POWER CORPORATION LTD (TFR.CO.FROM DELHI TO HARYANA)

के मामले मे, मैं एतदद्वारा सत्यापित करता हूँ कि मैसर्स
NATIONAL HYDROELECTRIC POWER CORPORATION LTD (TFR.CO.FROM DELHI TO HARYANA)

जो मूल रुप में दिनांक सात नवम्बर उन्नीस सौ पचहत्तर को कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अंतर्गत मैसर्स
NATIONAL HYDROELECTRIC POWER CORPORATION LTD

के रुप में निगमित की गई थी, ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 21 की शर्तों के अनुसार विधिवत आवश्यक विनिश्चय पारित करके तथा लिखित रुप में यह सूचित करके की उसे भारत का अनुमोदन, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 21 के साथ पठित, भारत सरकार, कम्पनी कार्य विभाग, नई दिल्ली की अधिसूचना सं.सा.का.नि 507 (अ) दिनांक 24.6.1985 एस.आर.एन A33769506 दिनांक 28/03/2008 के द्वारा प्राप्त हो गया है, उक्त कम्पनी का नाम आज परिवर्तित रुप में मैसर्स
NHPC Limited

हो गया है और यह प्रमाण-पत्र, कथित अधिनियम की धारा 23(1) के अनुसरण में जारी किया जाता है।

यह प्रमाण-पत्र, मेरे हस्ताक्षर द्वारा दिल्ली में आज दिनांक अठाईस मार्च दो हजार आठ को जारी किया जाता है।

GOVERNMENT OF INDIA - MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS
Registrar of Companies, National Capital Territory of Delhi and Haryana

Fresh Certificate of Incorporation Consequent upon Change of Name

Corporate Identity Number : U21015HR1975GOI032564

In the matter of M/s NATIONAL HYDROELECTRIC POWER CORPORATION LTD (TFR.CO.FROM DELHI TO HARYANA)

I hereby certify that NATIONAL HYDROELECTRIC POWER CORPORATION LTD (TFR.CO.FROM DELHI TO HARYANA) which was originally incorporated on Seventh day of November Nineteen Hundred Seventy Five under the Companies Act, 1956 (No. 1 of 1956) as NATIONAL HYDROELECTRIC POWER CORPORATION LTD having duly passed the necessary resolution in terms of Section 21 of the Companies Act, 1956 and the approval of the Central Government signified in writing having been accorded thereto under Section 21 of the Companies Act, 1956, read with Government of India, Department of Company Affairs, New Delhi, Notification No. G.S.R 507 (E) dated 24/06/1985 vide SRN A33769506 dated 28/03/2008 the name of the said company is this day changed to NHPC Limited and this Certificate is issued pursuant to Section 23(1) of the said Act.

Given under my hand at Delhi this Twenty Eighth day of March Two Thousand Eight.

(T P SHAMI)

कम्पनी रजिस्ट्रार / Registrar of Companies
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा
National Capital Territory of Delhi and Haryana

कम्पनी रजिस्ट्रार के कार्यालय अभिलेख में उपलब्ध पत्राचार का पता :
Mailing Address as per record available in Registrar of Companies office:

NHPC Limited
NHPC OFFICE COMPLEXSECTOR 33, FARIDABAD,
HARYANA,
Haryana, INDIA

अनुक्रमणिका

संस्था के बहिर्नियम

पैरा	विषय		पृष्ठ सं.
I	कंपनी का नाम	...	1
II	कंपनी का पंजिकृत कार्यालय	...	1
III	विषय	...	1
	क-मुख्य विषय		
1	बिजली का उत्पादन	...	1
2	सहायक कंपनियों की गतिविधियों का समन्वय और नियंत्रण	...	1
3	सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थान के एजेंट के रूप में कार्य करना	...	2
4	जलविद्युत और अन्य व्यवसाय की आयोजना, डिजाइन और निर्माण, स्थापन, उत्पादन, पारेषण, वितरण और बिक्री का कार्य करना	...	2
	ख- अनुषंगी विषय		
5	सहायक कंपनियों के लिए सहायक और सर्विसिंग एजेंसी के रूप में कार्य करना	...	3
6	चार्टर व रियायत प्राप्त करना	...	3
7	उधार लेना	...	3
8	संपत्ति का अधिग्रहण व लीज़	...	3
9	व्यापार/ कंपनीयों का अधिग्रहण	...	4
10	लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्राधिकार प्राप्त करना	...	4
11	तकनीकी जानकारी प्राप्त करना	...	4
12	अनुसंधान एवं विकास करना व प्रशिक्षण देना	...	5
13	संपत्ति आदि का सुधार	...	6
14	निवेश	...	6
15	संयुक्त उद्यम आदि का आरंभ करना	...	6
16	कार्मिकों का कल्याण	...	6
17	संपत्ति का विक्रय	...	7
18	कॉन्ट्रैक्ट करना	...	7

19	एजेन्सियों आदि की स्थापना करना	...	8
20	शेयर सब्सक्राइब करना	...	8
21	मूल्यह्रास निधि की स्थापना	...	8
22	बैंकों में खाते खोलना	...	8
23	कंपनियों का अधिग्रहण	...	9
24	परामर्शी सेवाएं प्रदान करना	...	9
25	अन्य कंपनियों को बढावा देना	...	9
26	सुविधाजनक व्यापार करना	...	9
ग- अन्य विषय			
27	उद्यमी के रूप में कार्य करना	...	9
28	उधार देना	...	9
29	सूचना एकत्र करना	...	10
30	भूमि के माध्यम से वाहकों का व्यापार करना	...	10
31	सहायक कंपनियों के साथ संपत्ति आदि में कार्य व्यवहार	...	10
IV	सीमित दायित्व	...	10
V	शेयर पूंजी	...	10
	अभिदाता का नाम	...	11

नोट: दस्तावेज़ की अंग्रेजी प्रति मान्य है।

अनुक्रमणिका

संस्था के अंतर्नियम

पैरा	विषय		पृष्ठ सं.
1	व्याख्या	...	12
2	टेबल 'एफ' लागू नहीं होना	...	15
3	इन अनुच्छेदों द्वारा कंपनी को परिचालित करना	...	15
4	कंपनी: एक प्राइवेट कंपनी	...	15
पूंजी व शेयर			
5	पूंजी	...	16
6	शेयरों का आवंटन	...	16
प्रमाण पत्र			
7	सदस्यों/ डिबेंचर धारकों को प्रमाण पत्र का अधिकार	...	17
8	विरूपित, लुप्त या नष्ट हुए प्रमाण पत्रों के बदले नए प्रमाण पत्र जारी करना	...	17
8क	शेयरों/ डिबेंचरों के संबंध में मांग	...	18
8ख	मांग पर जब ब्याज देय हो	...	18
8ग	मांग से पूर्व प्राप्त अग्रिम भुगतान	...	19
8घ	सभी शेयरों या डिबेंचरों पर कंपनी का धारणाधिकार	...	19
8च	शेयरों/ डिबेंचरों की जब्ती	...	20
8छ	जब्ती का प्रभाव	...	21
8ज	जब्ती के लिए घोषणा या अन्य प्रावधान	...	21
8झ	प्रतिभूतियों का अभ्यर्पण	...	22
8ट	प्रतिभूति धारकों की सूची व रजिस्टर	...	22
शेयर/ डिबेंचर/अन्य प्रतिभूतियों का अंतरण व हस्तांतरण			
9	प्रतिभूतियों का अंतरण व हस्तांतरण	...	23
10	अंतरण का रजिस्टर	...	24
11	अंतरण का क्रियांवयन	...	24
11क	नामांकन	...	25
11ख	नामित द्वारा प्रतिभूतियों का हस्तांतरण	...	26

12	शेयर आदि का हस्तांतरण	...	26
पूंजी में बढौतरी, कटौती व परिवर्तन			
13	पूंजी में वृद्धि	...	27
13क	डिबेंचर/ अन्य प्रतिभूतियों को जारी करने के नियम	...	27
14	किन शर्तों पर नए शेयर जारी किए जाएंगे	...	28
14क	आगे जारी किए जाने वाले शेयर	...	28
15	मौजूदा सदस्यों को कब प्रस्ताव दिया जाए	...	30
16	मूल पूंजी के ही समान	...	30
16क	शेयरों का बायबैक	...	31
17	पूंजी में कटौती	...	31
18	शेयरों का उप विभाजन व समेकन	...	31
हामीदारी व ब्रोकोरेज			
19	कमीशन का भुगतान	...	31
20	ब्रोकेरेज का भुगतान	...	32
21	उधार लेने की शक्तियां	...	32
22	रियायत आदि या विशेषाधिकारों के साथ जारी किया जाना	...	32
22क	ऋण प्रतिभूतियों का समेकन व पुन: जारी किया जाना	...	32
23	आम बैठक का नोटिस	...	32
24	पारित संकल्प को रद्द न किए जाने वाले नोटिस का लोप	...	33
25	कोरम	...	33
26	आम बैठक का अध्यक्ष	...	33
27	अध्यक्ष का निर्णय अंतिम	...	33
सदस्यों का मताधिकार			
28	मत	...	34
28क	पोस्टल बैलेट	...	34
29	दिवंगत सदस्य के शेयरों के संबंध में वोट	...	34
30	प्रतिपत्र का प्रकार	...	34
31	कंपनी पंजीकृत धारकों के अलावा अन्य शेयरों में किसी भी हितों को मान्यता देने के लिए बाध्य नहीं है	...	34

निदेशक मंडल			
32-33	निदेशकों की संख्या	...	35
34	निदेशक मंडल की नियुक्ति	...	35
35	वैकल्पिक निदेशक	...	38
35क-36	अपर निदेशक	...	38
37	अध्यक्ष की शक्तियां	...	40-41
38-39	निदेश जारी करने के लिए राष्ट्रपति की शक्तियां	...	41
40	कंपनी के निदेशकों/ अधिकारियों को कंपनी द्वारा प्रवर्तित कंपनियों में निदेशक के रूप में पदोन्नत करना	...	42
41	नोटिस देने का लोप	...	42
42	बोर्ड की बैठक में प्रश्नों पर निर्णय	...	42
43	बोर्ड-बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा	...	42
43क	कोरम	...	42
44	बोर्ड समिति का गठन कर सकता है	...	42
45	समिति की बैठकों का नियमन	...	43
46	समिति की बैठकों का अध्यक्ष	...	43
47	बोर्ड की सामान्य शक्तियां	...	43
48	निदेशकों को दी गई विशिष्ट शक्तियां	...	43
मुहर			
49	मुहर व उसकी अभिरक्षा	...	47
लाभ व लाभांश का विभाजन			
50	लाभ का विभाजन	...	48
51	कंपनी अपनी सामान्य बैठक में लाभांश घोषित कर सकती है	...	49
52	अंतरिम लाभांश	...	50
52क	न चुकाया गया या बेदावा लाभांश	...	50
लेखा			
53	कंपनी की बही व लेखा का सदस्यों द्वारा निरीक्षण	...	50
लेखा परीक्षा			
54	लेखा की वार्षिक लेखा परीक्षा	...	50
55	लेखा परीक्षक की नियुक्ति	...	50

56	नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की शक्तियां	...	50
57	बैठक में सम्मिलित होने के लिए लेखा परीक्षक के अधिकार	...	51
58	कब लेखा अंतत: तय माना जाए	...	51
59	सदस्यों की मृत्यु या दिवालिया होने पर अधिग्रहित शेयरों पर नोटिस	...	51
60	परिसंपत्तियों का वितरण	...	52
61	गोपनीयता की धारा	...	52
62	निदेशक व क्षतिपूर्ति के अन्य अधिकार	...	53
63	अन्य के कृत्यों के लिए उत्तरदायी न होना	...	53
	ग्राहकों का नाम	...	54

नोट: दस्तावेज़ की अंग्रेजी प्रति मान्य है।

एनएचपीसी लिमिटेड[1] की संस्था के बहिर्नियम

कंपनी का नाम	I	कंपनी का नाम एनएचपीसी लिमिटेड है।
पंजीकृत कार्यालय	II	कंपनी का पंजीकृत कार्यालय हरियाणा[2] राज्य में स्थित होगा।
लक्ष्य	III	जिन लक्ष्यों के लिए कंपनी स्थापित है, वे हैं:
प्रमुख लक्ष्य	क	
बिजली का उत्पादन	1(क)[3]	भारत और विदेशों में पारंपरिक और गैर-पारंपरिक स्रोतों के माध्यम से अपने सभी पहलुओं में बिजली की योजना, प्रचार और संगठित और एकीकृत और कुशल विकास, योजना, जांच, अनुसंधान, डिजाइन और प्रारंभिक, व्यवहार्यता और निश्चित परियोजना रिपोर्ट, निर्माण, उत्पादन, की तैयारी सहित केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर राष्ट्रीय आर्थिक नीति और उद्देश्यों के अनुसार स्टेशनों में उत्पन्न बिजली, और परियोजनाओं, पारेषण, वितरण, व्यापार और सहमत मानकों के अनुसार बिक्री का संचालन और रखरखाव, राज्य सरकार को एक और जरूरत के लिए पानी की रिहाई।
	[**][4]	[**][4]
	(ख)[5]	जहां आवश्यक हो, बिजली की समयबद्ध और समन्वित अंतरराज्यीय आदान-प्रदान के लिए अंतर राज्य ट्रांस्मिशन लाइनों और सहायक कार्यों का निर्माण।
समन्वय व नियंत्रण	2	अपनी सहायक कंपनियों की गतिविधियों का समन्वय करने के लिए, उनके निपटान में रखे गए सभी संसाधनों के इष्टतम उपयोग को सुरक्षित करने के लिए उनके प्रदर्शन की समीक्षा, नियंत्रण,

[1] 13.03.2008 को आयोजित ईजीएम में पारित विशेष प्रस्ताव के माध्यम से संशोधित।

[2] 17.06.94 को आयोजित ईजीएम में पारित विशेष प्रस्ताव के माध्यम से संशोधित।

[3] 19.03.2009 को पोस्टल बैलट के माध्यम से पारित विशेष प्रस्ताव के माध्यम से संशोधित।

[4] 07.06.2012 को पोस्टल बैलट के माध्यम से पारित विशेष प्रस्ताव के माध्यम से हटाया।

[5] 07.06.2012 को पोस्टल बैलट के माध्यम से पारित विशेष प्रस्ताव के माध्यम से पुनःअंकित।

		मार्गदर्शन करने और निर्देशित करने के लिए उनके आर्थिक और वित्तीय उद्देश्यों / लक्ष्यों को निर्धारित करना ।
सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थान के एजेंट के रूप में कार्य करना	3[1]	सरकारी / सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों के एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए, योजना, जांच, अनुसंधान, डिजाइन और प्रारंभिक, व्यवहार्यता और निश्चित परियोजना रिपोर्ट, निर्माण की तैयारी में लगी किसी भी कंपनी की किसी भी बैठक में सभी अधिकारों और शक्तियों का प्रयोग करने के लिए। सरकार, सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों, राष्ट्रीयकृत बैंकों, राष्ट्रीयकृत बीमा कंपनियों द्वारा सबसे प्रभावी उपयोग को सुरक्षित करने के उद्देश्य से किसी भी शेयर के संबंध में पावर स्टेशनों और परियोजनाओं, परियोजनाओं, पारेषण, वितरण व्यापार और बिजली की बिक्री का उत्पादन, संचालन, रखरखाव ऐसी कंपनियों में वित्तीय निवेश और ऋण और संबंधित उद्योगों का सबसे कुशल विकास।
उत्पादन, ट्रेडिंग व अन्य व्यापार	4[1]	योजना, जांच, अनुसंधान, डिजाइन और प्रारंभिक, व्यवहार्यता और निश्चित परियोजना रिपोर्ट, निर्माण, उत्पादन, संचालन और संचालन के सभी पहलुओं की खरीद, बिक्री, आयात, निर्यात, उत्पादन, व्यापार, विनिर्माण या अन्यथा से निपटने के व्यवसाय पर ले जाने के लिए। पावर स्टेशनों और परियोजनाओं, बिजली, बिजली विकास, फारवर्ड, बैकवर्ड या क्षैतिज एकीकरण सहायक और अन्य संबद्ध उद्योगों सहित, उस उद्देश्य के लिए सभी आवश्यक संयंत्रों, प्रतिष्ठानों और कार्यों को स्थापित करने, संचालित करने और प्रबंधित करना ।
	ख	**प्रमुख लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए लक्ष्यों का प्रासंगिक**

[1] दिनांक 20.06.2007 को पोस्टल बैलेट के माध्यम से संशोधित विशेष प्रस्ताव को 17.07.2007 को पारित किया गया

		या सहायक होना
अनुषंगी कंपनियों के लिए सहायक या सर्विसिंग एजेंसी के रूप में कार्य करना	5	आवश्यकता के अनुसार अपनी सहायक और अन्य संबंधित संस्थाओं जैसे सुविधाओं, संसाधनों, इनपुट्स और सेवाओं को उपलब्ध कराना, सुरक्षित करना और उपलब्ध कराना।
चार्टर व रियायत आदि प्राप्त करना	6	भारत सरकार या किसी अन्य सरकार या राज्य या किसी स्थानीय या राज्य सरकार के साथ या अधिकारियों, सर्वोच्च, राष्ट्रीय, स्थानीय, नगरपालिका के साथ किसी भी व्यवस्था में प्रवेश करने के लिए या किसी व्यक्ति को सीधे या परोक्ष रूप से वस्तुओं को ले जाने के उद्देश्य या कंपनी या उसके सदस्यों के हितों को आगे बढ़ाने और ऐसी किसी भी सरकार से प्राप्त करने के लिए, एक दूसरे में राज्य सरकार या व्यक्ति, सब्सिडी, ऋण, क्षतिपूर्ति, अनुदान, अनुबंध, डिक्रियां, अधिकार, प्रतिबंध, विशेषाधिकार, लाइसेंस और रियायतें, मौसम की श्रेणी या जिसे कंपनी प्राप्त करना और बाहर ले जाना, अनुपालन करना (सांविधिक या अन्यथा)।
उधार प्राप्त करने के लिए शक्तियां	7	अनधिकृत पूंजी सहित कंपनी के किसी भी उपक्रम या सभी या किसी भी परिसंपत्ति के लिए सिक्योरिटी या मोर्टगेज या अन्य सिक्योरिटी के साथ कंपनी के बिजनेस को फाइनेंस करने के उद्देश्य से पैसा उधार लेना या जमा करना, ऐसी किसी भी प्रतिभूतियों का भुगतान करना ।
संपत्ति का अधिग्रहण व लीज़	8	खरीद, पट्टे, विनिमय, किराया या अन्यथा या निर्माण करने और बनाए रखने के लिए कारखानों, कार्यों, इमारतों और सभी प्रकार की भूमि, इमारतों, अपार्टमेंट, योजना, विवरण और किसी भी विवरण के कार्यकाल, भारत में या किसी भी स्थित के हियरडिटामेंट्स, दुनिया के किसी भी हिस्से और किसी भी संपत्ति या ब्याज में और किसी भी

		अधिकार से अधिक या भूमि से जुड़ा हुआ है और किसी भी तरीके से उसी दो खाते को चालू करना जो व्यवसाय के उद्देश्य के लिए कंपनी के लिए आवश्यक, या सुविधाजनक लगते हों ।
व्यापार/ कंपनी का अधिग्रहण	9	किसी भी व्यक्ति, फर्म, सोसायटी, एसोसिएशन, निगम या कंपनी के किसी भी व्यवसाय पर संपत्ति, सद्भावना, अधिकारों और देनदारियों का पूरा या कोई भी अधिग्रहण, अधिग्रहण या स्वामित्व के लिए कंपनी अधिकृत है।
लक्ष्य आदि की प्राप्ति के लिए प्राधिकार प्राप्त करना	10	कंपनी, शक्तियों, प्राधिकारियों, संरक्षित वित्तीय और अन्य सहायता, आवश्यक या प्राप्त करने के लिए, कंपनी को सक्षम करने के लिए, भारत में या दुनिया के किसी भी हिस्से में विधानमंडल के आदेश या अधिनियम के मुद्दे या अधिनियम के निर्माण या अधिनियम के लिए अधिनियम, कंपनी की किसी भी वस्तु को ले जाने या बढ़ाने के लिए या किसी अन्य उद्देश्य के लिए जो समीचीन प्रतीत हो सकती है और किसी कार्यवाही या आवेदन या किसी अन्य प्रयास, कदम या उपाय का विरोध करने के लिए जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी के हित को पूर्वग्रहित करने के लिए गणना की गई हो ।
जानकारी प्राप्त करना	11	किसी भी व्यापार, ट्रेडमार्क, पेटेंट, ब्रेवेट या आविष्कारों, लाइसेंस, रियायतें और इसी तरह, खरीदने या अन्यथा प्राप्त करने के लिए आवेदन करने के लिए, किसी भी गुप्त या अन्य जानकारी का उपयोग करने का अधिकार, किसी भी विशेष या गैर विशेष या सीमित करने के लिए, किसी भी आविष्कार के रूप में कंपनी के किसी भी उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने में सक्षम, जिसके अधिग्रहण की गणना की जा सकती है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी को लाभ पहुंचाने और संपत्ति के संबंध में लाइसेंस

		का उपयोग करने, पालन करने, विकसित करने या अनुदान देने के लिए या अन्यथा संपत्ति का हिसाब करने, सही या जानकारी हासिल करना ।
अनुसंधान एवं विकास करना व प्रशिक्षण देना	12(क)	वैज्ञानिक, तकनीकी या अनुसंधान प्रयोगों के लिए अनुसंधान प्रयोगशालाओं और प्रायोगिक कार्यशालाओं की स्थापना, रख-रखाव और संचालन या अन्यथा सब्सिडी देना और अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर या वैज्ञानिक और तकनीकी शोध, प्रयोगों और निर्माण की उनकी तकनीकों को सीधे बढ़ावा देना, हर तरह से प्रोत्साहित करना, अध्ययन और अनुसंधान, वैज्ञानिक और तकनीकी जांच और किसी भी प्रकार का आविष्कार, जिसे प्रौद्योगिकी, अर्थशास्त्र, आयात, प्रतिस्थापन या किसी भी व्यवसाय में तेजी से आगे बढ़ाना, प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने की संभावना माना जा सकता है, जिसे आगे बढ़ने के लिए कंपनी अधिकृत है ।
	(ख)	भारत में या दुनिया के किसी भी हिस्से में सभी प्रकार के और सभी अन्य तकनीकी कर्मचारियों और कारीगरों और मैकेनिकों और अन्य प्रकार के इंजीनियरों के लिए तकनीकी प्रशिक्षण संस्थानों और छात्रावासों की स्थापना, रख-रखाव और संचालन; अधिकारियों, श्रमिकों, क्लर्कों, स्टोर कीपर्स और अन्य कार्मिकों के सभी श्रेणियों के प्रशिक्षण के लिए ऐसी अन्य व्यवस्था करना समीचीन हो सकता है, जो किसी भी व्यवसाय में उपयोगी हो, जिसे कंपनी वहन करने के लिए अधिकृत है।
संपत्ति आदि का सुधार	13	बेचने, सुधारने, प्रबंधित करने, विकसित करने, ऋण, या पट्टे के तहत पट्टा करने के लिए, सबलेट, बंधक, निपटाने, किसी भी तरीके से निपटने, खाता चालू करने या अन्यथा कंपनी के किसी भी

		अधिकार या संपत्ति का निपटन करना ।
निवेश	14	धनराशि संचित करना और निवेश करना या अन्यथा कंपनी के साथ या किसी भी कर्मचारी के धन का निवेश करना और किसी भी शेयर की खरीद या अधिग्रहण में, अन्य निवेश जो भी हो, चाहे चल या अचल हो, ऐसी शर्तों पर उचित और समय से उचित माना जा सकता है। इस तरह के सभी या किसी भी तरह के निवेश को अलग करने के लिए या समय के साथ कंपनी को जैसा भी उचित लगता हो ।
संयुक्त उद्यम आरंभ करना	15	संयुक्त रूप से काम करने, साझेदारी या पूलिंग प्रॉफिट, समामेलन, ब्याज, सहयोग, संयुक्त उद्यम, पारस्परिक रियायत या अन्यथा किसी व्यक्ति या कंपनी के साथ या जोड़ने या उसके बारे में जुड़ने के लिए किसी भी व्यवस्था में प्रवेश करने के लिए किसी भी व्यवसाय या लेन-देन से जुड़ना, या किसी भी व्यवसाय, उपक्रम या लेन-देन करना जिसके लिए कंपनी अधिकृत है, या जो ऐसा करने में सक्षम लग सकता है, ताकि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस कंपनी को लाभान्वित किया जा सके ।
कार्मिकों का कल्याण	16	जैसा कि कंपनी को उचित लगेगा, कंपनी और उसकी अनुषंगियों द्वारा नियोजित या पूर्व में कार्यरत व्यक्तियों का पुनर्वास और कल्याण, ऐसे व्यक्तियों के आश्रितों या संबंधितों से, जो मकान, आवास या निर्माण में योगदान देते हैं, पैसा, पेंशन, भत्ते, बोनस या अन्य भुगतान या भविष्य निधि और अन्य संगठनों, संस्थानों, फंडों या ट्रस्टों की सदस्यता लेना या योगदान करने के लिए समय-समय पर कंपनी द्वारा नियोजित व्यक्तियों की मदद करना या ट्रस्ट जो प्रीमियम के भुगतान में योगदान करके जीवन पर बीमा बनाए रखते हैं या अन्यथा और

		निर्देश या मनोरंजन, अस्पतालों और डिस्पेंसरियों, चिकित्सा और अन्य उपस्थिति और अन्य सहायतापूर्ण योगदान देना ।
संपत्ति का विक्रय	17	कंपनी या किसी भुगतान की गई खरीद को बेचने या उसका निपटान करने के लिए, जैसा भी कंपनी का उचित लगता है और विशेष रूप से शेयरों के लिए, डिबेंचर किसी भी अन्य कंपनी, निगम या कंपनी के प्रतिभूतियों को बढ़ावा देने या किसी अन्य कंपनी के प्रचार में सहायता करने के लिए है। कंपनी के सभी या किसी भी अधिकार या दायित्व को प्राप्त करने के उद्देश्य से साझेदारी या किसी अन्य उद्देश्य के लिए जिसकी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए गणना की जा सकती है ।
कॉनट्रेक्ट करना	18(क)	उपकरणों की खरीद के लिए और तकनीकी, जुर्माना या कंपनी के सभी या किसी भी ऑब्जेक्ट को बाहर ले जाने के लिए विदेशी व्यक्तियों, कंपनियों या अन्य संगठनों के साथ अनुबंध और अनुबंध में प्रवेश करना ।
	(ख)	कंपनी के लिए जैसा हो, किसी भी सरकारी अधिकारी (नगरपालिका, स्थानीय या अन्यथा) या किसी भी निगम, कंपनियों के साथ किसी भी समझौते में प्रवेश करना और ऐसे किसी भी सरकारी प्राधिकरण, कंपनियों या व्यक्तियों से किसी भी अनुबंध, अधिकार, विशेषाधिकार और रियायतें, जिन्हें कंपनी वांछनीय समझ सकती है और ऐसे किसी भी अनुबंध, अधिकार, विशेषाधिकारों और रियायतों का पालन करना और अनुपालन करना ।
	(ग)	क्षतिपूर्ति और गारंटी का अनुबंध करना ।
एजेंसियों आदि की स्थापना करना	19	एजेंसियों, शाखाओं और स्थानीय रजिस्टरों को स्थापित करने और बनाए रखने के लिए, कंपनी के

		पंजीकरण या मान्यता प्राप्त करने के लिए और दुनिया के किसी भी हिस्से में व्यापार करने के लिए और ऐसे कदम उठाने के लिए, जो कंपनी को इस तरह के अधिकारों और विशेषाधिकार देने के लिए आवश्यक हो सकते हैं, उसके लिए दुनिया के किसी भी हिस्से में स्थानीय कंपनियों के साथ साझेदारी करना या जैसा भी उचित हो ।
शेयर सब्सक्राइब करना	20	सब्सक्राइब, अंडरराइट, खरीद के लिए सदस्यता लेना, और शेयरों, प्रतिभूतियों और ऋण की अनिश्चितताओं या मुनाफे में भाग लेने का अधिकार या किसी भी सरकार, प्राधिकरण, निगम या किसी भी कंपनी द्वारा जारी किए गए अन्य समान दस्तावेजों से निपटने के लिए या व्यक्तियों और किसी भी विकल्प का अधिकार या उसके संबंध में अधिकार प्राप्त करना ।
मूल्यह्रास निधि की स्थापना	21	किसी भी मूल्यह्रास निधि, आरक्षित निधि, डूबता हुआ कोष, बीमा निधि या किसी अन्य निधि का निर्माण करना, चाहे मूल्यह्रास के लिए या कंपनी को सुधारने या बनाए रखने के लिए या कंपनी के हित में वरीयता प्राप्त शेयरों को या किसी अन्य उद्देश्य के लिए अनुकूलित करना ।
बैंक खाते खोलना	22	किसी भी व्यक्ति, फर्म या कंपनी के साथ या किसी भी बैंक या बैंकरों या श्राफों के साथ एक खाता या खाता खोलने और ऐसे खातों से पैसे का भुगतान करना ।
कंपनियों का अधिग्रहण	23	किसी भी कंपनी जिसके साथ व्यापार है से शेयर या प्रतिभूतियां प्राप्त करना या बंद करने का अधिकार रखना या जिसकी अधिग्रहण की संभावना को बढ़ावा देने या आगे बढ़ाने के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से गणना की जा सकती है । कंपनी के लिए फायदेमंद ऐसे किसी भी शेयर, स्टॉक या प्रतिभूतियों

		को बेचना या स्थानांतरित करना ।
परामर्शी सेवाएं प्रदान करना	24	जिससे संबंद्ध है ऐसे किसी भी क्षेत्र की गतिविधि में परामर्श सेवाओं के व्यवसाय को बढ़ावा देना, आयोजन करना या व्यापार करना ।
अन्य कंपनियों को बढावा देना	25	कंपनी के किसी भी उद्देश्य के लिए वांछनीय किसी भी कंपनी को बढ़ावा देना ।
सुविधाजनक व्यापार चलाना	26	आम तौर पर ऐसी सभी चीजों को करने के लिए जिन्हें उपरोक्त वस्तुओं या उनमें से किसी की प्राप्ति के लिए आकस्मिक या अनुकूल माना जा सकता है और कंपनी को जैसा उचित लगता है किसी भी व्यवसाय के लिए जो, वस्तुओं की गणना प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी के संपत्ति अधिकारों, लाभदायक मूल्य को बढ़ाने या प्रस्तुत किया जाना ।
	ग	**अन्य लक्ष्य**
उद्यमी के रूप में कार्य करना	27	केंद्र सरकार की ओर से एक उद्यमी के रूप में कार्य करना, आर्थिक निवेश के नए क्षेत्रों की पहचान करना और इस तरह के निवेश के उपक्रम में मदद करना या मदद करना।
उधार देना	28	जैसा भी निदेशक आवश्यक समझ सकते हैं, संपत्ति पर या अचल संपत्ति के बंध या बैंक गारंटी के एवज़ में उधार देना और ऐसी शर्तों पर वस्तुओं और सेवाओं की भविष्य की आपूर्ति करना और कंपनी के पैसे का निवेश करना, बेचना, हस्तांतरित या सौदा करना ।
सूचना एकत्र करना	29	कंपनी द्वारा किए गए किसी भी व्यवसाय के संबंध में सभी प्रासंगिक जानकारी की व्यवस्था करना, प्राप्त करना और एकत्र करना।
भूमि के माध्यम से वाहकों का व्यापार करना	30	समय-समय पर जैसा भी आवश्यक हो वाहकों के व्यवसाय को भूमि, समुद्र और हवा के माध्यम से संचालित करना ।

सहायक कंपनियों द्वारा निर्मित या उत्पादित सामान में व्यापार	31	कंपनी की किसी भी सहायक कंपनी द्वारा निर्मित या उत्पादित सभी वस्तुओं और सामान में व्यापार और व्यवहार करना ।
	और यह घोषित किया गया है कि:-	
	(क)	'कंपनी' शब्द जब इस क्लॉज में इस कंपनी के संदर्भ में उपयोग किया जाता है, तो किसी भी साझेदारी या अन्य व्यक्तियों को शामिल माना जाएगा, चाहे वह भारत में या कहीं और हों या न हों।
	(ख)	शब्द 'भारत' जब इस खंड में उपयोग किया जाता है, जब तक कि अन्यथा नहीं किया जाता है तो इसमें समय-समय पर भारत संघ में शामिल सभी क्षेत्रों को शामिल माना जाएगा ।
सीमित दायित्व	IV	सदस्यों का दायित्व सीमित है।
शेयर पूंजी	V[1]	कंपनी की शेयर पूंजी 15,000,00,00,000[1] रूपए (पंद्रह हजार करोड़ रुपए केवल) है जोकि [10/-रूपए प्रति इक्विटी शेयर के अनुसार 1500,00,00,000 (पंद्रह सौ करोड़ केवल)][2] में विभाजित है ।

[1] 27.01.2004 को आयोजित ईजीएम में प्रस्ताव के माध्यम प्राधिकृत शेयर पूंजी रु. 15,000 करोड़ तक बढ़ाया गया है जिसे रु. 1000/- (प्रत्येक) के 1500,00,000 इक्विटी शेयर्स में विभाजित किया गया है ।

[2] 13.03.2007 को आयोजित ईजीएम में प्रस्ताव के माध्यम रु. 1000 / - के इक्विटी शेयर जिसे रु.10 / - प्रत्येक के 100 शेयरों में विभाजित किया गया।

We, the several persons, whose names and addresses are subscribed, are desirous of being formed into a Company in pursuance of this Memorandum of Association and we respectively agree to take the number of shares in the capital of the Company set opposite our respective names.

Name of subscriber, address, description and occupation, if any.	**No. of equity shares taken by each subscriber**	**Signature of Subscriber**	**Signature of witnesses and their addresses, description and occupation, if any.**
1. President of India through Shri R.V. Subrahmanian S/o Shri P.S. Rama Iyer, Secy to the Govt. of India, Ministry of Energy (Deptt. of Power), New Delhi.	Five equity Shares	Sd/- Shri R.V. Subrahmanian	Sd/- Arun Bhatnagar Dy.Secy. Deptt. of Power New Delhi.
2. R.C. Bhargava S/o Shri M.P. Bhargava, Jt. Secretary, Ministry of Energy, Deptt. of Power, New Delhi.	One equity Share.	Sd/- R.C. Bhargava	Sd/- Inderjit Singh Kamra Under Secretary, Deptt. of Power New Delhi.
3. S.T. Veeraghavan, S/o Sh. S.T. Chakravarthy Iyengar (Late) Director, Ministry of Finance, Deptt. of Expenditure, New Delhi.	One equity Share.	Sd/- S.T. Veeraghavan,	Sd/- Section Officer Deptt. of Power New Delhi.
New Delhi Dated this 23rd day of October 1975.			

एनएचपीसी लिमिटेड[1]
की
संस्था के अंतर्नियम

व्याख्या

व्याख्या खंड	1	अंतर्नियम के ज्ञापन और इन अनुच्छेदों की व्याख्या में जब तक कि विषय या संदर्भ के प्रतिकूल न हो निम्नलिखित अभिव्यक्तियों के निम्नानुसार अर्थ होंगे:-
अधिनियम या कथित अधिनियम[2]		अधिनियम या कथित अधिनियम का अर्थ यथा अद्यत कंपनी अधिनियम, 2013 या भारत में वर्तमान में लागू अन्य अधिनियम या अधिनियमों से है, जिनमें कंपनी के संबंध में प्रावधान शामिल हैं ।
लाभकारी मालिक[3]		लाभकारी मालिक का अर्थ डिपॉजिटरी एक्ट, 1996 की धारा 2 के उपखंड 1 में परिभाषित लाभकारी मालिक से है ।
बोर्ड या निदेशक मंडल		बोर्ड या निदेशक मंडल का अर्थ निदेशकों की एक बैठक से है, जिसे विधिवत रूप से बुलाया और गठित किया गया हो या फिर जैसा भी हो, निदेशकों की बैठक में एकत्र निदेशकगण या परिपत्र प्रस्ताव पारित करने के अपेक्षित निदेशकों की संख्या से है ।
पूंजी		पूंजी का अर्थ कंपनी में उक्त समय के लिए या कंपनी के उद्देश्य के लिए उठाई गई अधिकृत पूंजी से है ।
अध्यक्ष		अध्यक्ष का अर्थ कंपनी में उक्त समय के लिए निदेशक मंडल के अध्यक्ष से है ।
कंपनी या यह कंपनी		इस कंपनी के लिए कंपनी का मतलब एनएचपीसी लिमिटेड है ।

[1] 13.03.2008 को आयोजित ईजीएम में पारित विशेष संकल्प के माध्यम से संशोधित ।
[2] 27.09.2018 को आयोजित एजीएम में पारित विशेष संकल्प के माध्यम से संशोधित ।
[3] 13.03.2007 को आयोजित ईजीएम में पारित विशेष संकल्प के माध्यम से शामिल ।

डिमटेरियलाइज़ / कागज़ रहित बनाना[1]	डिमटेरियलाइज़ेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रतिभूति धारक प्रतिभूति सुरक्षा प्रमाणपत्र को एक प्रतिभागी डिपॉजिटरी के साथ रखे गए अपने खाते में इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस में परिवर्तित कर सकता है ।
डिपॉजटरी[1]	डिपॉजिटरी का मतलब कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत गठित और पंजीकृत कंपनी होगा, जिसे प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट, 1992 के तहत डिपॉजिटरी के रूप में कार्य करने के लिए पंजीकरण का प्रमाण पत्र दिया गया है ।
डिपॉजटरी अधिनियम[2]	डिपॉजिटरी अधिनियम का मतलब डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 या इसके लिए कोई वैधानिक संशोधन या पुन: लागू करना है ।
निदेशकगण	निदेशकों का अर्थ कंपनी में उक्त समय के लिए निदेशक या जैसा भी मामला हो सकता है, निदेशकों की बोर्ड बैठक में एकत्र होते हैं।
लाभांश[3]	लाभांश में अंतरिम लाभांश भी शामिल हैं ।
निष्पादक या प्रशासक	कार्यकारी प्रशासक का अर्थ एक ऐसे व्यक्ति से है जिसने किसी सक्षम न्यायालय से प्रोबेट या प्रशासन का पत्र, जैसी भी मामला हो, प्राप्त किया हो।
लिंग	पुलिंग वाले शब्दों का आशय स्त्री लिंग वाले शब्दों से भी है।
सरकार	सरकार का मतलब केंद्र सरकार से है ।
सरकारी निगम	सरकारी निगम का मतलब सरकार द्वारा प्रभावी किसी भी कानून के तहत उक्त समय के लिए स्थापित निगम और अधिनियम में परिभाषित एक सरकारी कंपनी से है ।
धारणाधिकार[2]	धारणाधिकार का अर्थ किसी भी अदालत, ट्रिब्यूनल या प्राधिकरण में किसी अधिकार, शीर्षक या मौजूदा ब्याज या बनाने या बेचने की प्रकृति में या बेचने के तरीके से, विक्रय समझौता, प्रतिज्ञा, आडमान, लाइसेंस, किराए पर खरीद, पट्टा किरायेदारी, बंधक, सह स्वामित्व, अतिचार, अवैध कब्जा, जब्ती या वैधानिक देनदारियों, जो संपत्ति की बिक्री या

[1] 13.03.2007 को आयोजित ईजीएम में पारित विशेष संकल्प के माध्यम से शामिल और 27.09.2018 को आयोजित एजीएम में पारित विशेष संकल्प के माध्यम से संशोधित ।

[2] 13.03.2007 को आयोजित ईजीएम में पारित विशेष संकल्प के माध्यम से शामिल ।

[3] 13.03.2007 को आयोजित ईजीएम में पारित विशेष संकल्प के माध्यम से संशोधित और आगे 27.09.2018 को आयोजित एजीएम में पारित विशेष संकल्प के माध्यम से संशोधित ।

	किसी अन्य तृतीय पक्ष के अधिकारों या अतिक्रमण से है
माह	माह का अभिप्राय एक कैलेंडर माह से है ।
कार्यालय	कार्यालय का मतलब कंपनी के पंजिकृत कार्यालय से है ।
व्यक्ति[1]	व्यक्ति का अर्थ किसी भी व्यक्ति, कंपनी, फर्म, एसोसिएशन, ट्रस्ट या किसी भी सरकारी या राजनीतिक संगठना, मंत्रालय, विभाग या एजेंसी सहित किसी भी अन्य संस्था या संस्थाओं से है ।
बहुवचन संख्या	बहुवचन संख्या वाले शब्दों का आशय एकवचन वाली संख्या शब्दों से भी है ।
डाक मतपत्र[2]	डाक मतपत्र में शेयरधारकों द्वारा कंपनी की आम बैठक में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के बजाय डाक के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा मतदान करना शामिल है ।
राष्ट्रपति	राष्ट्रपति का अर्थ भारत के राष्ट्रपति से है ।
सदस्यों का रजिस्टर/ डिबेंचर धारक[3]	सदस्यों / डिबेंचर धारकों के रजिस्टर का अर्थ डिपॉजिटरी अधिनियम 1996 की धारा 11 के तहत सदस्यों के डिबेंचर/ धारकों का रजिस्टर और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभकारी मालिकों के एक रजिस्टर और सूचकांक से है ।
रजिस्ट्रार	रजिस्ट्रार का मतलब उस राज्य की कंपनियों के रजिस्ट्रार से है जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है।
पंजिकृत स्वामी[2]	पंजीकृत मालिक का मतलब उस डिपॉजिटरी से है जिसका नाम कंपनी के रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है ।
पुन: भौतिकीकरण[4]	रीमेट्रीलाईजेशन का मतलब इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग्स को वापस भौतिक रूप में करने और प्रतिभूति धारकों के पक्ष में नए सुरक्षा प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया है ।
उक्त प्रस्तुतिकरण/ विनियमन	इन उक्तियों या विनियमों का अर्थ संघ के इन लेखों को समय-समय पर मूल रूप से तैयार करना या बदलना तथा पाठ की आवश्यकता अनुसार इसमें ज्ञापन शामिल करने से है।

[1] 13.03.2007 को आयोजित ईजीएम में पारित विशेष संकल्प के माध्यम से संशोधित और उसके बाद 27.09.2018 को आयोजित एजीएम में पारित विशेष संकल्प के माध्यम से संशोधित ।

[2] 13.03.2007 को आयोजित ईजीएम में पारित विशेष संकल्प के माध्यम से संशोधित ।

[3] 13.03.2007 को आयोजित ईजीएम में पारित विशेष संकल्प के माध्यम से संशोधित और 27.09.2018 को आयोजित एजीएम में पारित विशेष संकल्प के माध्यम से शीर्षक संशोधित।

[4] 13.03.2007 को आयोजित ईजीएम में पारित विशेष संकल्प के माध्यम से शामिल और 27.09.2018 को आयोजित एजीएम में पारित विशेष संकल्प के माध्यम से संशोधित ।

मोहर		सील मोहर का मतलब कंपनी में उक्त समय के लिए मानक मोहर से है ।
सेबी (SEBI)[1]		सेबी का अर्थ प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ऑफ इंडिया से है।
प्रतिभूतियां[1]		प्रतिभूति का मतलब कंपनी के शेयर या डिबेंचर, अमेरिकी / वैश्विक डिपॉजिटरी रसीद, यूरो बॉन्ड, अन्य विदेशी मुद्रा साधन और ऐसी ही अन्य प्रतिभूतियों से है जो सेबी द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट की जा सकती हैं ।
एक वचन संख्या		एकवचन संख्या वाले शब्दों का आशय बहुवचन वाली संख्या शब्दों से भी है ।
शेयर		शेयरों का मतलब स्टॉक के शेयर जिसमें पूंजी विभाजित हैं और ऐसे शेयरों या स्टॉक के अनुरूप ब्याज से है ।
लिखित सामग्री		लेखन में मुद्रण व लिथोग्राफी तथा किसी अन्य विधा या किसी दृश्य रूप में शब्दों का प्रतिनिधित्व या पुनरुत्पादन करने के तरीके शामिल होंगे ।
लेखों में समान अर्थ धारण करने के लिए अधिनियम में अभिव्यक्तियाँ		इन लेखों में अधिनियम में परिभाषित किए गए किसी भी शब्द या अभिव्यक्ति के समान अर्थ हैं, बजाय जहां विषय या संदर्भ के अनुसार वे निषिद्ध हों।
मार्जिनल नोट		इसके साथ-साथ मार्जिनल नोट अभिव्यक्त अर्थ को प्रभावित नहीं करेंगे ।
तालिका 'एफ' को शामिल नहीं किया जाना	2[2]	अधिनियम में तालिका-एफ की अनुसूची 1 के विनियम कंपनी पर लागू नहीं होंगे सिवाय तब जब अधिनियम में दोहराया या निहित हो या इन लेखों में स्पष्ट रूप से लागू किया गया हो ।
इन अनुच्छेदों द्वारा शासित होने वाली कंपनी	3	कंपनी के प्रबंधन व सदस्यों और उनके प्रतिनिधियों के लिए विनियम का पालन, पूर्वोक्त और कंपनी के वैधानिक शक्तियों के किसी भी अभ्यास के अधीन या उसके लेखों के निरसन या परिवर्तन के अनुरूप ही होंगे । विशेष संकल्प द्वारा ज्ञापन के अंतरनियम, जैसा कि अधिनियम द्वारा निर्धारित या अनुमत हैं, इन लेखों में निहित हैं ।
कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है	4[3]	हटाया गया

[1] 13.03.2007 को आयोजित ईजीएम में पारित विशेष संकल्प के माध्यम से शामिल ।

[2] 27.09.2018 को आयोजित एजीएम में पारित विशेष संकल्प के माध्यम से शीर्षक और आर्टिकल संशोधित।

[3] 02.04.1986 को आयोजित ईजीएम में पारित विशेष संकल्प के माध्यम से हटाया गया।

पूंजी और शेयर

पूंजी	5[1]	कंपनी की शेयर पूंजी 15,000,00,00,000 रूपए (पंद्रह हजार करोड़ रुपए केवल)[1] है जोकि 10/-[2] रूपए प्रति इक्विटी शेयर के अनुसार 1500,00,00,000 रूपए (पंद्रह सौ करोड़ केवल) में विभाजित है ।
शेयरों का आवंटन	6	अधिनियम और इन लेखों की धारा 62 के प्रावधानों के अधीन, कंपनी की पूंजी में शेयर उस समय के निदेशकों के नियंत्रण में होंगे जो विषय बनाते हैं, जो इसका आवंटन करते हैं या अन्यथा उसे या उनमें से किसी ऐसे व्यक्ति को इस अनुपात में निष्पादित करते हैं और ऐसे नियम और शर्तों पर या तो प्रीमियम या सममूल्य पर और ऐसे समय पर जिसे वे उपयुक्त समझते हों । कंपनी की मंजूरी के साथ अधिनियम की धारा 68 के प्रावधानों के अधीन आम बैठक में किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को विकल्प देने का अधिकार या किसी भी शेयर के लिए कॉल करने का अधिकार या तो ऐसे समय में सममूल्य या प्रीमियम के रूप में और ऐसे विचार के लिए, जैसा भी निदेशक उचित समझते हैं, कंपनी की पूंजी में शेयर जारी और आवंटित कर सकते हैं । बेचे गए और हस्तांतरित किए गए किसी भी संपत्ति के पूर्ण या हिस्से में भुगतान करने पर या कंपनी को अपने व्यवसाय के संचालन में प्रदान की गई सेवाओं और किसी भी शेयर को, जो कि आवंटित किया जा सकता है, पूरी तरह से भुगतान किए गए शेयरों के रूप में जारी किया जा सकता है और यदि ऐसे जारी किया जाता है, तो पूरी तरह से भुगतान किया गया माना जाएगा। बशर्ते कि सामान्य बैठक में कंपनी के अनुमोदन के बिना किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को शेयरों के कॉल का

[1] प्राधिकृत शेयर पूंजी को 27.01.2004 को आयोजित ईजीएम में पारित विशेष संकल्प के माध्यम से 15,000 करोड़ रुपये तक बदाय गया जो की 1000 रूपये प्रत्येक के 1500,00,000 ईक्विटी शेयर में विभाजित है ।

[2] 13.03.2007 को आयोजित ईजीएम में पारित विशेष संकल्प के माध्यम से 1000 रुपये- प्रत्येक के अंकित मूल्य के इक्विटी शेयरों को 10 रुपये- प्रत्येक के **100** इक्विटी शेयरों में विभाजित किया गया।

अधिकार नहीं दिया गया हो ।

सदस्य/ डिबेंचर धारकों के लिए प्रमाण पत्र का अधिकार	7[1]	स्टॉक एग्रीमेंट की आवश्यकताओं और स्टॉक एक्सचेंजों के उपनियमों के अधीन, प्रत्येक सदस्य और डिबेंचर धारक मार्केटेबल लॉट में एक या एक से अधिक प्रमाणपत्रों के भुगतान के बिना, प्रत्येक वर्ग के सभी शेयरों और डिबेंचर के लिए या उनके नाम से पंजीकृत मूल्य के लिए हकदार होंगे या फिर निदेशक इतने ही प्रमाणपत्रों के लिए मंजूरी देते हैं, तो प्रत्येक ऐसे एक या अधिक शेयरों और डिबेंचर के लिए व शेयर के लिए 2 महीने के भीतर इस तरह के प्रमाण पत्र को वितरण के लिए कंपनी तैयार करेगी । आवंटन की तारीख से या जैसा भी मामला हो, डिबेंचर के लिए 6 महीने तक जारी करने की शर्तें होंगी अन्यथा प्रदत्त या हस्तांतरित, अंतरित, उपखंडित, समेकित या इसके किसी भी शेयर और डिबेंचर के नवीकरण के पंजीकरण के आवेदन की एक महीने के भीतर प्राप्ति हो सकती है । शेयरों और डिबेंचरों का प्रत्येक प्रमाण पत्र कंपनी की मुहर के अधीन होगा और यह जारी किए जाने वाले शेयरों और डिबेंचरों की संख्या और विशिष्ट संख्या को निर्दिष्ट करेगा और इसमें भुगतान की गई राशि ऐसे रूप में होगी जैसा कि निदेशक तय करेंगे या अनुमोदित करेंगे। बशर्ते कंपनी एक से अधिक प्रमाण पत्र जारी करने के लिए बाध्य नहीं होगी, यदि कई व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से नियोजित शेयर / डिबेंचर होंगे। अनेक धारकों में से किसी एक को शेयर और डिबेंचर का प्रमाण पत्र दिया जाएगा जोकि सभी के लिए पर्याप्त माना जाएगा। बशर्ते कि बांड या डिबेंचर धारक द्वारा डीमैटिरियलाइज़ रूप में रखी गई प्रतिभूतियों के मामले में किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को उसका कोई हिस्सा या बांड या डिबेंचर के लिए प्रमाणपत्र जारी नहीं की गई हो ।
विरूपित, लुप्त या नष्ट हुए	8[2]	यदि कोई प्रतिभूति प्रमाणपत्र खराब हो गया है, विकृत हो

[1] 13.03.2007 को आयोजित ईजीएम में पारित विशेष संकल्प के माध्यम से संशोधित और उसके बाद 27.09.2018 को आयोजित एजीएम में पारित विशेष संकल्प के माध्यम से संशोधित ।

[2] 13.03.2007 को आयोजित ईजीएम में पारित विशेष संकल्प के माध्यम से संशोधित ।

प्रमाण पत्रों के बदले नए प्रमाण पत्र जारी करना		गया हो या फट गया हो या हस्तांतरण के लिए और उसके बाद कंपनी में समर्पण करने के लिए दिया गया हो और उसमें कोई स्थान नहीं बच रहा हो, तो उसके बदले में एक नया प्रमाणपत्र जारी किया जा सकता है। यदि कोई प्रमाण पत्र खो जाए या नष्ट हो जाए, इसके बाद कंपनी की पर्याप्त संतुष्टि होने पर इस तरह की क्षतिपूर्ति के निष्पादन के रूप में खोए या नष्ट हुए प्रमाण पत्र के लिए एक नया प्रमाणपत्र पार्टी को दिया जाएगा । अंतरनियम के तहत प्रत्येक प्रमाण पत्र बिना शुल्क जारी किया जाएगा । बशर्ते कि ऊपर बताई गई बातों के बावजूद, निदेशक ऐसे नियमों और विनियमों या स्टॉक एक्सचेंज या अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों या प्रतिभूति अनुबंध विनियमन अधिनियम, 1956 या किसी अन्य अधिनियम या नियमों के तहत बनाए गए नियमों का पालन करेंगे ।
शेयरों/ डिबेंचरों के संबंध में मांग	8 क[1]	निदेशक मंडल समय-समय पर प्रतिभूति धारकों को उनकी प्रतिभूतियों पर भुगतान किए गए धन के संबंध में कॉल कर सकते हैं और भुगतान का समय निर्दिष्ट कर सकते हैं और प्रतिभूति के प्रत्येक धारक को निर्दिष्ट राशि कंपनी को समय पर भुगतान करना होगा । बशर्ते कि निर्देशक समय-समय पर अपने विवेक से किसी भी कॉल के भुगतान के लिए निर्धारित समय का विस्तार कर सकते हैं ।
मांग पर जब ब्याज देय हो	8 ख[1]	यदि किसी कॉल के संबंध में देय राशि का भुगतान निर्धारित किए गए समय से पहले या उस समय तक नहीं किया जाता है तो वास्तविक भुगतान के दिन से ही निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित दर पर ब्याज देना होगा । लेकिन यदि निदेशक मंडल चाहे तो पूरी तरह से या आंशिक रूप से इस तरह के ब्याज का भुगतान माफ कर सकता है ।

[1] 13.03.2007 को आयोजित ईजीएम में पारित विशेष संकल्प के माध्यम से शामिल और 27.09.2018 को आयोजित एजीएम में पारित विशेष संकल्प के माध्यम से संशोधित ।

मांग से पूर्व प्राप्त अग्रिम भुगतान	8 ग[1]	निर्देशक यदि वे उचित समझते हैं, तो अधिनियम की धारा 50 के प्रावधानों के अधीन, किसी भी सदस्य से संपूर्ण धन या आंशिक हिस्से को अग्रिम के रूप में प्राप्त करने के लिए सहमति दे सकते हैं और उसे प्राप्त कर सकते हैं जोकि उसके कॉल किए गए शेयरों से अधिक है तो ऐसे में कंपनी निदेशकों द्वारा तय दर पर ऐसे कॉल के ब्याज का भुगतान कर सकती है। बशर्ते कि कॉल से पहले भुगतान किया गया धन लाभ या लाभांश अंश नहीं होगा । निर्देशक कभी भी उक्त अग्रिम राशि का पुनर्भुगतान कर सकते हैं। सदस्य किसी भी मतदान के अधिकार के हकदार नहीं होंगे जब तक कि उसके द्वारा वर्तमान में भुगतान के लिए धन देय नहीं होगा । इन लेखों के प्रावधान कंपनी के डिबेंचर पर कॉल के लिए यथोचित परिवर्तनों सहित लागू होंगे।
सभी शेयरों या डिबेंचरों पर कंपनी का धारणाधिकार	8घ(क)[1]	कंपनी के पास प्रत्येक सदस्य और डिबेंचर धारक के नाम पर पंजीकृत सभी शेयरों और डिबेंचर पर पहला और सर्वोपरि ग्रहणाधिकार होगा और ऐसे शेयरों और डिबेंचर के संबंध में एक निश्चित समय पर सभी पैसे के लिए बिक्री की कार्यवाही को बुलाया या देय होगा। और किसी भी हिस्से और डिबेंचर में कोई समान ब्याज नहीं बनाया जाएगा, सिवाय इसके कि इस लेख का पूर्ण प्रभाव होगा। कोई भी ग्रहणाधिकार ऐसे शेयरों और डिबेंचरों के संबंध में घोषित समय-समय पर सभी लाभांश, बोनस और ब्याज का विस्तार करेगा। अन्यथा जब तक कि शेयरों के हस्तांतरण पर सहमति न हो और यदि कोई हो तो डिबेंचर कंपनियों की माफी के रूप में काम करेगा, तो ऐसे शेयरों और डिबेंचर पर निदेशक किसी भी समय किसी भी शेयर और डिबेंचर को पूरी तरह से घोषित कर सकते हैं या भाग में प्रावधानों से छूट दे सकते हैं।
विक्रय के माध्यम से	(ख)	कंपनी किसी भी शेयर या डिबेंचर इस तरह से बेच सकती

[1] 13.03.2007 को आयोजित ईजीएम में पारित विशेष संकल्प के माध्यम से शामिल ।

धारणीयता की बाध्यता[1]

है जैसा बोर्ड उचित समझता है व जिस पर कंपनी ने ग्रहणाधिकार प्रदान किया है बशर्ते कि उसका विक्रय नहीं किया जाए :-

(i) जब तक कि राशि जिसके लिए ग्रहणाधिकार मौजूद है, देय हो या

(ii) जो राशि पंजीकृत धारक को शेयर या डिबेंचर के समय के लिए दिया गया है या व्यक्ति के मृत्यु या दिवालिया होने की स्थिति में 14 दिनों के अंदर लिखित नोटिस जिसमें वर्तमान में देय राशि के ऐसे हिस्से का भुगतान करने की मांग की गई हो, का हकदार है ।

(ग) (i) ऐसी किसी भी बिक्री को प्रभावी करने के लिए बोर्ड कुछ व्यक्तियों को उसके क्रेता को बेचे गए शेयरों या डिबेंचर को हस्तांतरित करने के लिए अधिकृत कर सकता है।

(ii) क्रेता को ऐसे किसी भी हस्तांतरण में समझौता किए गए शेयरों या डिबेंचर के धारक के रूप में पंजीकृत किया जाएगा।

(घ) (i) बिक्री की आय कंपनी द्वारा प्राप्त की जाएगी और इस राशि के ऐसे हिस्से के भुगतान में लागू की जाएगी जिसके संबंध में ग्रहणाधिकार वर्तमान में देय है।

(ii) यदि कोई अतिशेष हों तो वे वर्तमान में शेयर और डिबेंचरों के रूप में देय नहीं होंगे बल्कि ग्रहणाधिकार के अधीन हो जाएंगे, जबकि बिक्री से पहले उस व्यक्ति को शेयरों का भुगतान किया जाना चाहिए, जो बिक्री की तारीख में डिबेंचर हैं।

शेयरों/ डिबेंचरों की जब्ती

8च[1] (i) यदि कोई सदस्य या डिबेंचर धारक किसी भी कॉल का भुगतान करने में विफल रहता है या आबंटित धन जो आस्थगित किया गया है, तो उसे जमा करने की शर्त के रूप में सावधि जमा के रूप में रखा जाता है या बोर्ड के भुगतान के लिए नियुक्त दिन पर किसी भी समय कॉल की जा सकती है। ऐसे समय में जब कॉल या अलॉटमेंट मनी या किस्त का कोई हिस्सा अनपेड रहता है, तो उस पर ऐसे कॉल या किस्त के भुगतान की आवश्यकता होती

[1] **13.03.2007** को आयोजित ईजीएम में पारित विशेष संकल्प के माध्यम से संशोधित ।

		है, जिस पर कोई ब्याज मिल सकता है। (ii) पूर्वोक्त सूचना इस प्रकार होगी : (क) उस दिन या उससे पहले तिथि बताएं (नोटिस जारी करने की तारीख से चौदह दिनों की समाप्ति से पहले न हो) जिसके लिए नोटिस के जरिये भुगतान किया जाना है, और (ख) यह बताएं कि जिस दिन कॉल किया गया था, उसके संबंध में शेयर या डिबेंचर के नाम पर या उससे पहले भुगतान न करने की स्थिति में, उसे जब्त किया जाएगा । (ग) यदि उपरोक्त किसी भी नोटिस की आवश्यकताओं का किसी भी शेयर या डिबेंचर के साथ अनुपालन नहीं की जाता है, किसी भी समय जिसके संबंध में नोटिस दिया गया है, तो इससे पहले कि नोटिस द्वारा आवश्यक भुगतान किया गया हो तो उस प्रभाव तक बोर्ड के एक प्रस्ताव द्वारा जब्त कर लिया जाएगा । (iii) जैसा बोर्ड को उचित लगता है, एक जब्त हिस्सा या डिबेंचर को बेचा जा सकता है या अन्यथा ऐसी शर्तों पर निपटाया जा सकता है । (iv) जैसा भी बोर्ड उचित समझता है, किसी भी समय बिक्री या निपटान से पहले जब्ती को रद्द कर सकता है ।
जब्ती का प्रभाव	8छ[1]	(i) जिस व्यक्ति के शेयर या डिबेंचर जब्त हो चुके हैं, तो वह शेयरों या डिबेंचर के संबंध में वह सदस्य या धारक नहीं रहेगा, लेकिन शेयर और डिबेंचर के संबंध में जब्ती के लिए कंपनी भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं होगी, जो कि सभी प्रकार की धनराशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होती है। (ii) ऐसे व्यक्ति की देयता समाप्त हो जाएगी, जब कंपनी को उसके शेयरों या डिबेंचरों के संबंध में सभी प्रकार से पूर्ण भुगतान प्राप्त हो जाएगा ।
जब्ती के लिए घोषणा या अन्य प्रावधान	8ज[1]	(i) एक विधिवत, सत्यापित घोषणा कि घोषणाकर्ता निदेशक, प्रबंधक या कंपनी का सचिव है और घोषणा में बताई गई

[1] 13.03.2007 को आयोजित ईजीएम में पारित विशेष संकल्प के माध्यम से शामिल ।

		तारीख को कंपनी में उसका हिस्सा या डिबेंचर विधिवत रूप से जब्त कर लिया गया है, लिखित रूप में प्राप्त होने पर उसे शेयर या डिबेंचर के हकदार होने का दावा करने वाले सभी व्यक्तियों के लिए पर्याप्त मान लिया जाएगा । (ii) कंपनी किसी भी बिक्री या निपटान के दिन शेयर या डिबेंचर के लिए दिए जाने पर विचार प्राप्त कर सकती है और उन लोगों के पक्ष में शेयर या डिबेंचर के हस्तांतरण को निष्पादित कर सकती है, जिन्हें शेयर या डिबेंचर बेचा या प्रदान किया गया है । (iii) तदनुसार शेयर या डिबेंचर के धारक के रूप में पंजीकृत किया जाएगा। (iv) यदि कोई हो, तो ट्रांसफ़रकर्त्ता खरीद के पैसे के आवेदन को देखने के लिए बाध्य नहीं होंगे और न ही शेयर या डिबेंचर के लिए उसका शीर्षक किसी भी अनियमितता से प्रभावित होगा या फिर कार्यवाही में बिक्री या शेयर के निपटान के संदर्भ में वैधता से प्रभावित होगा। (v) जब्ती के लिए इन विनियमों के प्रावधान को किसी भी राशि के गैर भुगतान के मामले में लागू किया जाएगा, जो कि शेयर डिबेंचर जारी करने की अवधि तक निश्चित समय पर देय हो जाती है, चाहे शेयर या डिबेंचर के नाममात्र मूल्य का एक खाता या प्रीमियम के रूप में अगर एक ही विधिवत कॉल और अधिसूचना द्वारा देय हो ।
प्रतिभूतियों का अभ्यर्पण	8झ[1]	विधि बोर्ड के लागू प्रावधानों के अधीन ऐसे नियमों और शर्तों पर किसी भी प्रतिभूति धारक से स्वीकार किया जा सकता है, जिसे सभी या उसकी प्रतिभूतियों में से किसी एक के अभ्यर्पण के लिए सहमत किया जाएगा।
प्रतिभूति धारकों की सूची व रजिस्टर	8ट[1]	कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 88 और डिपॉसिटरी अधिनियम और अन्य लागू प्रावधान 1996 के अनुसार कंपनी प्रतिभूति धारकों के रजिस्टरों और सूचकांक को अपने पंजीकृत कार्यालय या निदेशक मंडल द्वारा निर्णय के अनुसार किसी अन्य स्थान पर रखेगी । यह शेयर/

[1] 13.03.2007 को आयोजित ईजीएम में पारित विशेष संकल्प के माध्यम से शामिल । 27.09.2018 को आयोजित एजीएम में पारित विशेष संकल्प के माध्यम से शीर्षक और आर्टिकल संशोधित ।

डिबेंचर से संबंधित भौतिक और डीमैटरलाईज़ विवरण इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सहित कानून द्वारा स्वीकृत किसी भी माध्यम में रखा जा सकता है ।

डिपॉजिटरी एक्ट 1996 की धारा 11 के तहत डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभकारी मालिक का रजिस्टर और इंडेक्स भी कंपनी अधिनियम 2013 के उद्देश्य और किसी भी संशोधन या फिर से संशोधन के लिए सुरक्षा धारकों का रजिस्टर और इंडेक्स माना जाएगा। कंपनी के पास भारत के बाहर किसी भी राज्य या देश में उस राज्य या देश के निवासी के लिए सुरक्षा धारकों का एक रजिस्टर रखने की शक्ति होगी।

शेयर / डिबेंचर/ अन्य प्रतिभूतियों का अंतरण व हस्तांतरण[1]

प्रतिभूतियों का अंतरण व हस्तांतरण[2]

9क[3] कंपनी और शेयर बाजारों के बीच लिस्टिंग समझौते के प्रावधानों के अधीन होने की स्थिति में, जो उचित दस्तावेज खो गए हैं, उन्हें कंपनी प्राप्त कर्त्ता के नाम पर प्रतिभूतियों का हस्तांतरण करेगी बशर्ते;

जब हस्तांतरण एक असाधारण परिस्थिति में होता है, जिसमें प्रावधानों के अनुरूप निदेशकों का अनुमोदन प्राप्त नहीं होता है।

जब किसी वैधानिक प्रावधान या सक्षम प्राधिकारी के संभाव्यता आदेश के किसी भी अनुलग्नक को कंपनी की प्रतिभूतियों को अंतरणकर्ता के नाम से हस्तांतरित करने से रोकती है, जब हस्तांतरणकर्ता अंतरण पर आपत्ति करता है, बशर्ते कि वह उचित समय के अंदर सक्षम न्यायालय के निरोधात्मक आदेश के कंपनी के समक्ष प्रस्तुत करता है ।

ख[3] अधिनियम के प्रावधानों और नियमों के अधीन निर्देशकों को अपने स्वयं के पूर्ण और नियंत्रित विवेक पर, पूरी तरह से भुगतान किए गए या नहीं की गई प्रतिभूतियों के किसी भी हस्तांतरण को अस्वीकार या स्वीकार करने के

[1] 27.09.2018 को आयोजित एजीएम में पारित विशेष संकल्प के माध्यम से अध्याय के शीर्षक में संशोधन ।

[2] 13.03.2007 को आयोजित ईजीएम में पारित विशेष संकल्प के माध्यम से संशोधित ।

[3] 27.09.2018 को आयोजित एजीएम में पारित विशेष संकल्प के माध्यम से संशोधित ।

लिए कारणों की पड़ताल, इनकार करने का अधिकार, उन परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होगा, जब प्रस्तावित ट्रांसफेरर पहले से ही कंपनी के सदस्य हैं, लेकिन ऐसे मामलों में, निदेशक उस तारीख से एक महीने के भीतर जिस पर कंपनी के साथ स्थानांतरण का साधन दर्ज किया गया था, भेज देंगे । इस तरह के हस्तांतरण को पंजीकृत करने से इंकार करने पर ट्रांसफर करने वाले और ट्रांसफर प्राप्त करने वाले को नोटिस भेजा जाएगा, बशर्ते कि हस्तांतरण के पंजीकरण को हस्तांतरणकर्ता की जमीन पर अकेले या संयुक्त रूप से किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से ऋणी हो, सिवाय इसके कि जब कंपनी की प्रतिभूतियों पर ग्रहणाधिकार हो । प्रतिभूतियों का हस्तांतरण चाहे वह जिस भी लॉट में हो अस्वीकार नहीं किया जाएगा ।

ग[1] भौतिक रूप में रखी गई प्रतिभूतियों के हस्तांतरण का उपकरण लिखित रूप में होगा और उस समय के लिए अधिनियम और वैधानिक संशोधनों के सभी प्रावधानों को प्रतिभूतियों के सभी हस्तांतरण और पंजीकरण के संबंध में विधिवत अनुपालन किया जाएगा ।

घ स्थानांतरण, पारेषण, प्रोबेट, उत्तराधिकार प्रमाणपत्र और प्रशासन के पत्रों, मृत्यु या विवाह का प्रमाण पत्र, पावर ऑफ अटॉर्नी या इसी तरह के अन्य दस्तावेज के पंजीकरण के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

च शेयरों या डिबेंचर के हस्तांतरण का एक सामान्य रूप जैसा कि कंपनी द्वारा उपयोग किया जा सकता है ।

अंतरण का रजिस्टर

10[2] कंपनी शेयरों के हस्तांतरण और डिबेंचर के हस्तांतरण के रजिस्टरों को रखेगी और इसमें किसी भी शेयर या डिबेंचर के विभिन्न हस्तांतरण या अंतरण के विवरण दर्ज करेंगे।

अंतरण का क्रियांवयन

11[2] कंपनी में किसी भी शेयर या डिबेंचर के ट्रांसफर के इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर प्राप्त कर्त्ता और ट्रांसफ़र कर्त्ता दोनों द्वारा निष्पादित किया जाएगा और ट्रांसफ़र कर्त्ता को शेयर के धारक या डिबेंचर बने रहने के लिए समझा जाएगा जब

[1] 27.09.2018 को आयोजित एजीएम में पारित विशेष संकल्प के माध्यम से संशोधित ।

[2] 02.04.1986 को आयोजित ईजीएम में पारित विशेष संकल्प के माध्यम से संशोधित ।

तक ट्रांसफ़ेर प्राप्त कर्त्ता का नाम सदस्यों या डिबेंचर धारक के रजिस्टर में दर्ज न हो जाए ।

नामांकन

11क[1] (i) प्रत्येक प्रतिभूति धारक और और जमाकर्त्ता कंपनियों के अधीन जमा की गई कंपनी की सार्वजनिक जमा योजना किसी भी समय निर्धारित तरीके से किसी व्यक्ति को नामित कर सकती है, जिसे उसकी उसकी मृत्यु की स्थिति में प्रतिभूति या कंपनी में जमा निवेश करेगा ।

(ii) जहाँ कंपनी में प्रतिभूतियाँ जमा होती हैं, एक से अधिक लोगों द्वारा संयुक्त रूप से रखी जाती हैं, संयुक्त धारक को निर्धारित तरीके से नामांकित किया जाता है, एक व्यक्ति जिसे कंपनी में प्रतिभूतियों या जमा के सभी अधिकार, जैसा भी मामला हो, वह सभी संयुक्त धारकों की मृत्यु की स्थिति में निहित होगा ।

(iii) किसी भी अन्य कानून में निहित होने या विवाद में होने के बावजूद, चाहे वसीयतनामा हो या अन्यथा कुछ हो, कंपनी में ऐसी प्रतिभूतियों या जमा राशि के संबंध में, जहां कंपनी में प्रतिभूतियों या जमा पूंजी को जमा करने के लिए किसी व्यक्ति को अधिकार देने के लिए निर्धारित तरीके से नामांकन किया हो, नामांकित व्यक्ति प्रतिभूति धारक या जमाकर्ता की मृत्यु पर, जैसा भी मामला हो, संयुक्त धारकों की मृत्यु पर ऐसी प्रतिभूतियों या जमा में सभी अधिकारों के हकदार बन जाते हैं क्योंकि मामला सभी संयुक्त धारकों के संबंध में है, इस तरह की प्रतिभूतियों या जमा पर, सभी व्यक्तियों को निकालने के लिए, जब तक कि नामांकन भिन्न नहीं होता है, निर्धारित तरीके से रद्द कर दिया जाता है।

(iv) जहां नामित व्यक्ति नाबालिग है, वहां प्रतिभूति या जमा धारक के लिए निर्धारित तरीके से नियुक्ति के लिए नामांकन करना वैध होगा व किसी की नाबालिग अवस्था में मृत्यु की स्थिति में, प्रतिभूतियों या कंपनी में जमा करने का हकदार बन होगा ।

[1] 13.03.2007 को आयोजित ईजीएम में पारित विशेष संकल्प के माध्यम से शामिल और 27.09.2018 को आयोजित एजीएम में पारित विशेष संकल्प के माध्यम से संशोधित ।

नामित द्वारा प्रतिभूतियों का हस्तांतरण	11ख[1] बोर्ड द्वारा वांच्छित इस तरह से साक्ष्य प्रस्तुत करने पर नामिती निम्नानुसार नियुक्ति या प्रतिभूति या जमा पूंजी के धारक के रूप में खुद को पंजीकृत करने के लिए, जैसा भी मामला हो; या प्रतिभूति या जमा के ऐसे हस्तांतरण को करने के लिए, जैसा कि मामला हो सकता है, एक मृतक प्रतिभूति धारक या जमाकर्ता ऐसा सकते हैं; यदि नामित व्यक्ति प्रतिभूति या जमाकर्ता धारक के रूप में पंजीकृत होने के लिए चुनाव करता है, तो जैसा कि मामला हो, वह इस आशय को हस्ताक्षरित व लिखित रूप में नोटिस व मृतक प्रतिभूति धारक के मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ उसे कंपनी को भेजेगा । नामांकित व्यक्ति उसी लाभांश और अन्य लाभों के हकदार होंगे, जिसके वे हकदार हैं, वह जहां प्रतिभूति के पंजीकृत धारक या जमाकर्ताओं को छोड़कर वह प्रतिभूति के संबंध में एक सदस्य के रूप में पंजीकृत होने से पहले जमा नहीं करेगा । कंपनी की बैठकों या प्रतिभूतिधारकों और जमाकर्ताओं की बैठकों के संबंध में सदस्यता द्वारा प्रदत्त किसी भी अधिकार का प्रयोग करने के संबंध में इसका हकदार होगा। इसके अलावा बोर्ड किसी भी समय, ऐसे किसी भी व्यक्ति को चुनाव करने के लिए या तो खुद को पंजीकृत करने या प्रतिभूति या जमा पूंजी को हस्तांतरित करने के लिए नोटिस दे सकता है और यदि नोटिस पर नब्बे दिनों के भीतर अनुपालन नहीं किया जाता है, तो उसके बाद बोर्ड सभी के भुगतान रोक सकता है। लाभांश, बोनस या अन्य धनराशि प्रतिभूति या जमा के संबंध में जमा किए गए सभी अधिकारों को देय होगा, जब तक कि नोटिस की आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं किया गया हो ।
प्रतिभूतियों आदि का हस्तांतरण	12[2] शेयरधारक या डिबेंचर धारक को पंजीकृत करने के लिए अनुच्छेद 9 में निहित कंपनी की किसी भी शक्ति को कम नहीं करेगा, कानून के संचालन द्वारा किसी भी व्यक्ति को कंपनी में हिस्से या डिबेंचर का अधिकार अंतरित किया

[1] 13.03.2007 को आयोजित ईजीएम में पारित विशेष संकल्प के माध्यम से शामिल और 27.09.2018 को आयोजित एजीएम में पारित विशेष संकल्प के माध्यम से संशोधित ।

[2] 02.04.1986 को आयोजित ईजीएम में पारित विशेष संकल्प के माध्यम से संशोधित ।

गया है ।

12क[1] कंपनी अपने शेयरों और अन्य प्रतिभूतियों का विकल्प चुन सकती है, जो डिपॉजिटरी अधिनियम 1996 के प्रावधानों के तहत निपटाए जाते हैं और नियम और विनियम वहाँ या उसके साथ संदर्भ के तहत बनाए गए हैं और इस तरह के सभी कदम उठा सकते हैं जिसमें जमा शेयरों के साथ समझौते में प्रवेश करना शामिल है, इसके शेयरों और प्रतिभूतियों को रेंडर करने के लिए जो डीमैटेरियलाइज्ड और फंगल फॉर्म में रखे जाने योग्य हैं । कंपनी ऐसे सभी अन्य राज्यों को भी शामिल कर सकती है, जो उक्त डिपॉजिटरी द्वारा आवश्यक हैं, नियम और कानून और अन्य आकस्मिक या परिणामी कदमों को लागू करते हैं और यह स्पष्ट रूप से घोषित किया गया है कि इन लेखों में कुछ भी शामिल नहीं है जो उक्त जमा अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत या असंगत हैं तथा जो अधिनियम के तहत या उक्त डिपॉजिटरी के तहत नियमों और विनियमों को कड़ाई से निपटने के लिए आवश्यक है, जिसमें ट्रांसफर से प्रभावित प्रतिभूति को हस्तांतरित करने के लिए सीमित नहीं है, और ट्रांसफ़र को रिकॉर्ड में दोनों लाभकारी मालिकों के रूप में दर्ज किया गया है।

पूंजी में वृद्धि, कमी और परिवर्तन

पूंजी में वृद्धि

13[2] अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, सामान्य बैठक में जैसा कि संकल्प निर्धारित करेगा कंपनी ऐसी राशि से शेयर पूंजी में वृद्धि कर सकती है, जिसे इस राशि के शेयरों में विभाजित किया जाएगा ।

डिबेंचर/ अन्य प्रतिभूतियों को जारी करने के नियम

13क[3] किसी भी डिबेंचर, डिबेंचर स्टॉक या अन्य प्रतिभूतियों को छूट, प्रीमियम या अन्यथा जारी किया जा सकता है और इस शर्त पर जारी किया जा सकता है कि वे किसी भी संप्रदाय के शेयरों में परिवर्तनीय होंगे तथा छुट, समर्पण, ड्राइंग, शेयरों के आवंटन के रूप में विशेषाधिकार और शर्तों

[1] 10.12.2001 को आयोजित ईजीएम में पारित विशेष संकल्प के माध्यम से शामिल ।

[2] 13.03.2007 को आयोजित ईजीएम में पारित विशेष संकल्प के माध्यम से संशोधित ।

[3] 13.03.2007 को आयोजित ईजीएम में पारित विशेष संकल्प के माध्यम से शामिल और 27.09.2018 को आयोजित एजीएम में पारित विशेष संकल्प के माध्यम से शीर्षक में संशोधन ।

		के साथ, सामान्य बैठक में भाग लेने, निदेशकों की नियुक्ति और अन्यथा शेयरों में या आवंटन के अधिकार के साथ डिबेंचर सामान्य रूप में कंपनी की आम बैठक में एक विशेष संकल्प द्वारा सहमति से जारी किए जाएंगे।
किन शर्तों पर नए शेयर जारी किए जाएंगे	14[1]	इस तरह के नियमों और शर्तों के साथ नए शेयर जारी किए जाएंगे और इसके साथ ही ऐसे अधिकार और विशेषाधिकारों की घोषणा की जाएगी, जैसा कि उत्पत्ति के दौरान आम बैठक में निर्देशन होगा । बशर्ते कि कंपनी में मतदान के अधिकार को लाभांश, पूंजी के रूप में जारी करने के लिए कोई शेयर (ऐच्छिक शेयर न हो) जारी नहीं किया जाएगा या अन्यथा जो अन्य शेयरों (ऐच्छिक शेयर न हो)के धारकों के लिए अनुपातहीन हैं ।
आगे जारी किए जाने वाले शेयर	14क(I)[2]	जहां कंपनी के गठन से दो साल की समाप्ति के बाद या किसी भी समय कंपनी के शेयरों के आवंटन से एक साल की समाप्ति के बाद, इसके गठन के बाद पहली बार, जो भी पहले हो, यह प्रस्तावित है कि एकतरफा पूंजी या बढ़ी हुई शेयर पूंजी से और भी शेयरों के आबंटन के माध्यम से कंपनी के सब्स्क्राईब्ड शेयर बढ़ाना तो; (क) आगे इस तरह के शेयर उन लोगों को पेश किए जाएंगे, जो ऑफर की तारीख पर कंपनी के इक्विटी शेयरों के धारक होंगे, जैसा कि उस तारीख को शेयर पर दी गई पूँजी के अनुसार परिस्थितियाँ बनती हों । (ख) इस तरह की पेशकश एक नोटिस द्वारा की जाएगी, जो पेशकश किए गए शेयरों की संख्या को निर्दिष्ट करेगी और ऑफ़र की तारीख से तीस दिनों से कम नहीं होने का समय सीमित करेगी तथा स्वीकार नहीं होने पर प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया माना जाएगा । (ग) उप-खंड (ख) में दिए गए शेयरों को त्यागने के लिए संबंधित व्यक्ति द्वारा सही प्रस्ताव को शामिल करने के

[1] 13.03.2007 को आयोजित ईजीएम में पारित विशेष संकल्प के माध्यम से संशोधित ।

[2] 13.03.2007 को आयोजित ईजीएम में पारित विशेष संकल्प के माध्यम से शामिल ।

लिए उपर्युक्त प्रस्ताव को शामिल माना जाएगा, इस अधिकार का एक विवरण शामिल होगा बशर्ते कि निदेशक अपने शेयरों को आवंटित करने के लिए कोई कारण बताए बिना अस्वीकार कर सकते हैं यदि कोई भी व्यक्ति जिसके पक्ष में कोई भी सदस्य उसे दिए गए शेयरों का त्याग करता है।

(घ) पूर्वोक्त नोटिस में निर्दिष्ट समय की समाप्ति के बाद या उस व्यक्ति से पहले की सूचना प्राप्त करने के लिए जिसे इस तरह का नोटिस दिया जाता है कि वह पेशकश किए गए शेयरों को स्वीकार करने का फैसला करता है, निदेशक मंडल उन्हें इस तरह से और ऐसे व्यक्तियों को निपटान कर सकता हैं जिन्हें वे अपने विवेकाधिकार में उपयुक्त मानते हैं ।

14क(2)[1] इसके अलावा उप-खंड (1) में निहित कुछ के बावजूद, किसी भी व्यक्ति को (उन व्यक्तियों में उप-खंड (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट व्यक्ति शामिल हों या नहीं) किसी भी तरीके से और भी शेयरों की पेशकश की जा सकती है।

(क) यदि उस प्रभाव का एक विशेष प्रस्ताव कंपनी द्वारा आम बैठक में पारित किया जाता है या

(ख) जहां ऐसा कोई विशेष प्रस्ताव पारित नहीं किया जाता है, यदि प्रस्ताव में निहित प्रस्ताव के पक्ष में वोट डाले गए सदस्यों द्वारा सामान्य बैठक में स्थानांतरित किया जाता है, तो ऐसा करने का अधिकार है, वोट देने या जहां प्रॉक्सी द्वारा प्रॉक्सी की अनुमति दी जाती है, यदि वोट से अधिक हो, सदस्यों द्वारा प्रस्ताव के खिलाफ, इसलिए हकदार और मतदान और केंद्र सरकार इस संबंध में निदेशक मंडल द्वारा किए गए एक आवेदन पर संतुष्ट है कि प्रस्ताव कंपनी के लिए सबसे अधिक फायदेमंद है।

14क(3)[1] खंड (1) के उप खंड (ग) मान्य नहीं होगा यदि :

[1] 13.03.2007 को आयोजित ईजीएम में पारित विशेष संकल्प के माध्यम से शामिल ।

(क) समय का विस्तार जिसके भीतर प्रस्ताव स्वीकार किया जाना चाहिए; या

(ख) किसी भी व्यक्ति को इस आधार पर दूसरी बार त्याग के अधिकार का प्रयोग करने के लिए अधिकृत करें, जिस व्यक्ति के पहले त्याग का पक्ष लिया गया था, उसने त्याग में शामिल शेयरों को लेने से इनकार कर दिया हो ।

14क(4)[1] जो कंपनी द्वारा जारी किए गए डिबेंचर या ऋणों से जुड़े एक विकल्प के अभ्यास के कारण होता है वह इस अनुच्छेद में कंपनी के सब्सक्राइब्ड कैपिटल की वृद्धि पर लागू नहीं होगा ।

(i) कंपनी में ऐसे डिबेंचर या लोन को शेयरों में बदलना या

(ii) कंपनी में शेयरों के लिए सबस्क्राइब करना (चाहे वह अनुच्छेद में उल्लिखित हो या नहीं)

बशर्ते कि ऐसे डिबेंचर जारी करने की शर्तों या इस तरह के लोन की शर्तों में इस तरह के विकल्प और इस तरह के टर्म के लिए एक शब्द उपलब्ध हो;

(क) या तो डिबेंचर जारी करने से पहले केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है या ऋण को बढ़ाने या नियमों के अनुरूप है, यदि कोई हो, तो इस संबंध में सरकार द्वारा तैयार तथा

(ख) डिबेंचर या ऋण या डिबेंचर के अलावा या इस संबंध में सरकार से प्राप्त ऋण के मामले में, डिबेंचर के मुद्दे या ऋणों को बढ़ाने से पहले आम बैठक में कंपनी द्वारा पारित एक विशेष प्रस्ताव द्वारा अनुमोदित किया गया है।

मौजूदा सदस्यों को कब प्रस्ताव दिया जाए

15 नए शेयरों को अनुच्छेद 6 के प्रावधानों के अनुसार जारी या निपटाया जा सकता है।

मूल पूंजी के ही समान

16 मदों की शर्तों या इन अनुच्छेदों द्वारा प्रदान की गई अब तक के अलावा, नए शेयरों के निर्माण द्वारा उठाए गए किसी भी पूंजी को मूल पूंजी का हिस्सा माना जाएगा और कॉल के भुगतान के संदर्भ में यहां दिए गए प्रावधानों और अन्यथा किश्तों, हस्तांतरण और प्रसारण, जब्ती,

[1] 13.03.2007 को आयोजित ईजीएम में पारित विशेष संकल्प के माध्यम से शामिल ।

ग्रहणाधिकार, आत्मसमर्पण, मतदान के अधीन होगा ।

शेयरों का बायबैक	16क[1]	इन अनुच्छेदों में और अधिनियम की धारा 68, 69 और 70 के अनुपालन के बावजूद, कंपनी अपने स्वयं के शेयर या अन्य निर्दिष्ट प्रतिभूतियों को वापस खरीद सकती है, निदेशक मंडल ऐसे अनुमोदन और प्रतिबंधों के अनुसार उपयुक्त विषय पर विचार कर सकता है जो आवश्यक और ऐसे अनुमोदन और प्रतिबंधों के अधीन व जो आवश्यक हो और ऐसी सीमाओं, प्रतिबंधों, नियमों और शर्तों आदि के अधीन हो, जैसा कि समय-समय पर लागू अधिनियमों / विनियमों / नियमों के प्रावधानों के तहत आवश्यक हो सकता है।
पूंजी में कटौती	17[2]	अधिनियम की धारा 66 के प्रावधानों के अधीन, कंपनी समय-समय पर, विशेष संकल्प द्वारा, पूंजी का भुगतान करके अपनी पूंजी को कम कर सकती है या उस पूंजी को रद्द कर सकती है जो खोई हुई है या उपलब्ध संपत्तियों द्वारा अप्रतिष्ठित है या जो कम है या कम करके शेयरों पर देयता या अन्यथा के रूप में समीचीन हो सकती है और पूँजी पर भुगतान किया जा सकता है कि इसे फिर से या अन्यथा कहा जा सकता है और बोर्ड अधिनियम के प्रावधानों के अधीन हो सकती है, शेयरों के आत्मसमर्पण को स्वीकार करती है।
शेयरों का उप विभाजन व समेकन	18[2]	आम बैठक में कंपनी के अधिनियमों के प्रावधानों के अधीन, समय-समय पर अपने शेयरों या उनमें से किसी एक को उपविभाजित या समेकित कर सकता है और उपधारा 1 द्वारा दिए गए किसी भी अधिकार का उपयोग करके अधिनियम की धारा 61 के (क) से (च) और रजिस्ट्रार के साथ इस तरह के किसी भी शक्तियों के अभ्यास में इस तरह के नोटिस के साथ फाइल कर सकते हैं जो अधिनियम द्वारा आवश्यक हो सकता है।

हामीदारी और ब्रोकेरेज[3]

कमीशन का भुगतान	19[1]	अधिनियम की धारा 40(6) के प्रावधानों के अधीन, कंपनी

[1] 16.09.2013 को आयोजित एजीएम में पारित विशेष संकल्प के माध्यम से शामिल और 27.09.2018 को आयोजित एजीएम में पारित विशेष संकल्प के माध्यम से संशोधित।

[2] 13.03.2007 को आयोजित ईजीएम में पारित विशेष प्रस्ताव के माध्यम से संशोधित और आगे 27.09.2018 को आयोजित एजीएम में पारित विशेष प्रस्ताव के माध्यम से संशोधित

[3] 17.03.1997 को आयोजित ईजीएम में पारित विशेष संकल्प के माध्यम से शामिल।

		किसी भी समय वेतन आयोग और किसी भी व्यक्ति को उसकी सदस्यता को ध्यान में रखते हुए, सदस्यता के लिए सहमत हो रही है, चाहे वह कंपनी के किसी भी शेयर या डिबेंचर के लिए बिल्कुल या सशर्त रूप से सहमत हो किसी भी शेयर के लिए निरपेक्ष या सशर्त खरीद करने के लिए खरीद या सहमत होने वाली कंपनी की डिबेंचर हैं,बशर्ते कि शेयर जारी किए जाने वाले मूल्य के 5%और डिबेंचर के मामले में कमीशन और प्रोत्साहन से अधिक न हो व जिस कीमत पर डिबेंचर जारी किया जाता है,उसका ढाई प्रतिशत हो।
ब्रोकेरेज का भुगतान	20[1]	कंपनी ब्रोकेरेज के बदले में ब्रोकेरेज या शुल्क की उचित और वैध राशि का भुगतान भी कर सकती है।
उधार लेने की शक्तियां*	21[2]	अधिनियम की धारा 73, 74, 179 और 180 के प्रावधानों के अधीन और समय-समय पर जारी किए गए सरकारी दिशानिर्देश, बोर्ड द्वारा बोर्ड की बैठकों में पारित किए गए संकल्प के माध्यम से कंपनी के उद्देश्य के लिए कुछ राशि में से समय-समय पर जमा या उधार के भुगतान सुरक्षित हों ।
रियायत आदिया विशेषाधिकारों के साथ जारी किया जाना*	22	अधिनियम की धारा 53 और 71 के अधीन, किसी भी बांड को छूट, प्रीमियम या अन्यथा के लिए जारी किया जा सकता है और किसी विशेष विशेषाधिकारों के साथ मोचन, समर्पण, आर ड्राइंग और शेयरों के आवंटन के लिए किया जा सकता है।
ऋण प्रतिभूतियों का समेकन व पुन: जारी किया जाना	22क[3]	बोर्ड के पास निजी प्लेसमेंट के माध्यम से जारी की गई ऋण प्रतिभूतियों के समेकन और पुनर्पूंजीकरण का अधिकार होगा, जो कि यदि किसी अधिनियम के अधीन या सेबी, आरबीआई आदि सहित विनियामक प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित किया गया हो।
आम बैठक का नोटिस	23[1]	कम से कम 21 स्पष्ट दिनों का नोटिस, बैठक में लेन-देन

[1] 17.03.1997 को आयोजित ईजीएम में पारित विशेष संकल्प के माध्यम से शामिल और 27.09.2018 को आयोजित एजीएम में पारित विशेष संकल्प के माध्यम से संशोधित।

[2] 17.03.1997 को आयोजित ईजीएम में पारित विशेष संकल्प के माध्यम से अनुच्छेद 21 और उसके बाद के सभी अनुच्छेद फिर से अंकित किये गए ।

* 13.03.2007 को आयोजित ईजीएम में पारित विशेष प्रस्ताव के माध्यम से संशोधित और आगे 27.09.2018 को आयोजित एजीएम में पारित विशेष संकल्प के माध्यम से संशोधित ।

[3] 27.09.2017 को आयोजित एजीएम में पारित विशेष संकल्प के माध्यम से शामिल ।

		किए जाने वाले व्यवसाय के बयान के साथ सामान्य बैठकों की जगह, दिन और घंटे को निर्दिष्ट करने के लिए आमंत्रित करता है, जो अधिनियम द्वारा प्रदान किए गए तरीके से हर सदस्य पर लागू होगा, लेकिन लिखित रूप में सहमति के साथ इस तरह के सदस्यों की संख्या अधिनियम या नियमों द्वारा निर्धारित की जा सकती है उसी नोटिस से प्राप्त करने के अधिकार के तहत किसी भी आम बैठक को इस तरह कम समय पर नोटिस द्वारा बुलाया जा सकता है या फिर जैसा भी सदस्य उचित समझें ।
पारित संकल्प को रद्द न किए जाने वाले नोटिस का लोप	24	किसी भी सदस्य द्वारा नोटिस या उसके बारे में किसी को भी न बताने के लिए आकस्मिक चूक, ऐसी किसी भी बैठक में पारित किसी भी प्रस्ताव को अमान्य नहीं करेगी।
कोरम	25[2]	आम बैठक के लिए कोरम अधिनियम और नियमों के अनुसार होगा ।
आम बैठक का अध्यक्ष	26[2]	निदेशक मंडल के अध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष हर आम बैठक में अध्यक्ष होने का हकदार होगा, लेकिन बैठक शुरू होने के पंद्रह मिनट के भीतर अध्यक्ष या उपाध्यक्ष उपस्थित नहीं होते हैं या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए अनिच्छुक है तो उपस्थित सदस्य किसी अन्य निदेशक को अध्यक्ष के रूप में चुनेंगे और यदि कोई निदेशक उपस्थित नहीं होगा या सभी निदेशक अध्यक्षता करने मना कर देते हैं तो उपस्थित सदस्य अपने सदस्यों में से किसी एक को अध्यक्ष चुनेंगे ।
अध्यक्ष का निर्णय अंतिम	27	किसी भी बैठक का अध्यक्ष ऐसी बैठक में प्रस्तुत किए गए प्रत्येक वोट की वैधता का एकमात्र निर्णायक होगा । मतदान के समय उपस्थित अध्यक्ष, इस तरह के मतदान में प्रदत्त प्रत्येक मत की वैधता का एकमात्र निर्णायक होगा

[1] 27.09.2018 को आयोजित एजीएम में पारित विशेष संकल्प के माध्यम से संशोधित ।

[2] 02.04.1986 को आयोजित ईजीएम में पारित विशेष संकल्प के माध्यम से संशोधित और उसके बाद 27.09.2018 को आयोजित एजीएम में पारित विशेष प्रस्ताव के माध्यम से संशोधित।

मत	28	प्रत्येक सदस्य वोट देने का अधिकार रखता है और व्यक्तिगत रूप से या प्रॉक्सी के माध्यम से अपने हाथों दिखाकर एक वोट कर सकता है और उसके लिए प्रत्येक शेयर के लिए एक वोट दे सकता है ।
मत पत्र	28क[1]	कंपनी के अनुच्छेदों में कुछ भी शामिल नहीं होने के बावजूद, कंपनी के सदस्यों द्वारा पोस्टल बैलेट के माध्यम से व कंपनी के सदस्यों द्वारा पारित प्रस्तावों के तरीके को अपनाने के लिए और जिसमें निर्दिष्ट मामलों के संबंध में नियम बनाए गए हों अधिनियम या नियमों में निर्धारित किया जा सकता है । इस संबंध में नियमों में निर्धारित पोस्टल बैलेट और अन्य आवश्यकताओं के लिए प्रक्रिया के अनुपालन के लिए कंपनी के एक आम बैठक में इस तरह के व्यवसाय का लेन-देन करने के बजाय समय-समय पर नियमों को संशोधित किया जा सकता है।
दिवंगत सदस्य के शेयरों के संबंध में वोट	29	ऐसे शेयरों का पंजीकृत धारक कोई भी व्यक्ति किसी भी बैठक में ट्रांसफर के तहत अधिकार प्राप्त करता है, जो आम बैठक में वोट देता है, बशर्ते कि बैठक आयोजित करने से कम से कम 72 घंटे पहले या तत्काल बैठक, जैसे भी मामला हो, जिस पर वह वोट देने का प्रस्ताव रखता है, वह ऐसे शेयरों को हस्तांतरित करने के अपने अधिकार से निर्देशकों को संतुष्ट करेगा बनिसप्त निदेशकों ने पहले इस संबंध में इस तरह की बैठक में मतदान का अधिकार स्वीकार किया होगा ।
प्रतिपत्र का प्रकार	30[2]	एक निर्दिष्ट बैठक के लिए प्रतिपत्र का हर साधन या अन्यथा अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार होगा।
कंपनी पंजीकृत धारकों के अलावा अन्य शेयरों में किसी	31	अन्यथा उपलब्ध कराए गए अनुसार निदेशक उस व्यक्ति के साथ व्यवहार करने का हकदार होगा, जिसका नाम

[1]13.03.2007 को आयोजित ईजीएम में पारित विशेष संकल्प के माध्यम से शामिल और 27.09.2018 को आयोजित एजीएम में पारित विशेष संकल्प के माध्यम से संशोधित।

[2] 27.09.2018 को आयोजित एजीएम में पारित विशेष संकल्प के माध्यम से संशोधित।

भी हितों को मान्यता देने के लिए बाध्य नहीं है		सदस्यों के रजिस्टर में पूर्ण मालिक के रूप में किसी भी हिस्से के धारक के रूप में दिखाई देता है और तदनुसार किसी भी बेनामी ट्रस्ट या समान आकस्मिक या अन्य दावे को मान्यता देने व किसी भी व्यक्ति की ओर से इस तरह के हिस्से में ब्याज चाहे वह व्यक्त हो या निहित नोटिस हो या न हो के लिए बाध्य नहीं होगा ।
		निदेशक मंडल
	32[1]	कंपनी का व्यवसाय निदेशक मंडल द्वारा प्रबंधित किया जाएगा, जो सार्वजनिक उद्यम के दिनांक 9 अक्टूबर 1997 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 11/36 / 97- वित्त विभाग में निर्धारित शर्तों के अनुपालन के अधीन है व दिनांक 5 अगस्त 2005 के कार्यालय ज्ञापन 18 (24) / 2003-वित्त - जीएम- GL- 65 के साथ पढा जाएगा या फिर जैसा भी समय-समय पर संशोधित हो ।
निदेशकों की संख्या	33[2]	राष्ट्रपति समय-समय पर कंपनी के निदेशकों की संख्या निर्धारित करेंगे और जो चार से कम नहीं होगी और प्रदंह से अधिक नहीं होगी, बशर्ते किसी भी मामले में स्वतंत्र निदेशकों की संख्या बोर्ड की वास्तविक सदस्यता बल से 50% से कम न हो ।
निदेशक मंडल की नियुक्ति	34	(i)(क) अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। उपाध्यक्ष सहित निदेशक मंडल के अन्य सभी सदस्यों को कंपनी के अध्यक्ष के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा । सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले निदेशकों की नियुक्ति के मामले में ऐसा कोई परामर्श आवश्यक नहीं होगा । (ख)[3] निदेशकों को इस तरह के वेतन या भत्ते का भुगतान समय-समय पर राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाएगा। अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, इस तरह के उचित अतिरिक्त पारिश्रमिक, जो राष्ट्रपति द्वारा तय किए जा सकते हैं, उनके या उनके द्वारा प्रदान की गई अतिरिक्त या विशेष सेवाओं के लिए

[1] 05.08.2008 को आयोजित एजीएम में पारित विशेष संकल्पके माध्यम से प्रतिस्थापित।

[2] 21.04.2005 को आयोजित ईजीएम में पारित विशेष संकल्प के माध्यम से संशोधित।

[3] 27.09.2018 को आयोजित एजीएम में पारित विशेष संकल्प के माध्यम से संशोधित।

निदेशकों में से किसी एक या अधिक को भुगतान किया जा सकता है या अन्यथा जैसा भी हो ।

(ii) राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों के अधीन अध्यक्ष को नियुक्त किया जाएगा ।

(iii)[1] कंपनी के दो-तिहाई निदेशक ऐसे व्यक्ति होंगे, जिनके कार्यालय की अवधि रोटेशन द्वारा निर्धारण के लिए उत्तरदायी होगी और अन्यथा अधिनियम में स्पष्ट रूप से प्रदान उल्लेखानुसार आम बैठक में कंपनी द्वारा नियुक्त किया जाएगा ।

कंपनी की प्रत्येक वार्षिक आम बैठक बाद आयोजित आम बैठक में पहले निदेशक नियुक्त किए जाते हैं, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, ऐसे निदेशकों में से एक तिहाई जो रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी हैं या यदि उनकी संख्या है 3 या 3 से अधिक नहीं है, तो एक तिहाई के निकटतम संख्या कार्यालय से सेवानिवृत्त होगी ।

प्रत्येक वार्षिक आम बैठक में रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने वाले निदेशक वे होंगे जो अपनी पिछली नियुक्ति के बाद से सबसे लंबे समय तक पद पर रहे हैं, लेकिन एक ही दिन में निदेशक बनने वाले व्यक्तियों के बीच आपसी सहमति से सेवानिवृत्त निर्धारित होगी ।

सेवानिवृत्त निदेशक पुन: चुनाव के लिए पात्र होंगे। कंपनी वार्षिक आम बैठक में सेवानिवृत्त हुए निदेशक या किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त कर सकती है ।

यदि सेवानिवृत्त डायरेक्टर का स्थान भरा नहीं जाता है और बैठक में रिक्ति को भरने के लिए स्पष्ट रूप से हल नहीं निकाला जाता है, तो बैठक अगले सप्ताह में उसी दिन तक, उसी समय और स्थान पर होगी यदि उस दिन राष्ट्रीय अवकाश न हो या उस दिन, समय

[1] 13.03.2007 को आयोजित ईजीएम में पारित विशेष संकल्प के माध्यम से शामिल और 27.09.2018 को आयोजित एजीएम में पारित विशेष संकल्प के माध्यम से संशोधित |

और स्थान पर किया जा सकता है जब अवकाश नहीं है और यदि उक्त बैठक में भी सेवानिवृत्त निदेशक का स्थान नहीं भरा जाता है और रिक्ति को भरने के लिए स्पष्ट संकल्प नहीं होता है, तो सेवानिवृत्त हुए निदेशक को फिर से नियुक्त मान लिया जाएगा, बशर्ते:

(i) उस बैठक में या पिछली बैठक में, ऐसे निदेशक की फिर से नियुक्ति के लिए एक प्रस्ताव बैठक में रखा गया हो और वैसा न हो पाया हो ।

(ii) सेवानिवृत्त निदेशक ने कंपनी या उसके निदेशक मंडल को लिखित रूप अपनी अनिच्छा के आशय की नोटिस दी हो ।

(iii) वह योग्य नहीं है या नियुक्ति के लिए अयोग्य है।

(iv) यह संकल्प कि क्या अधिनियम के किसी भी प्रावधान के आधार पर उसकी नियुक्ति के लिए विशेष या सामान्य की आवश्यकता है ।

(v) इस मामले में अधिनियम का खंड 162 (2) लागू हो

(iv)[1] सरकारी विभाग का प्रतिनिधित्व करने वाला एक निदेशक, विभाग का एक अधिकारी होने के कारण अपनी सेवानिवृत्ति पर सेवानिवृत्त होगा।

(v) राष्ट्रपति समय-समय पर या कभी भी अपने पूर्ण विवेक पर किसी भी अंशकालिक निदेशक को पद से हटा सकते हैं। अध्यक्ष और पूर्णकालिक निदेशकों को नियुक्ति की शर्तों के अनुसार पद से हटाया जा सकता है या यदि राष्ट्रपति द्वारा लिखित से जारी किए गए 3 महीने की अवधि के नोटिस में निर्दिष्ट शर्तों पर, या नोटिस की अवधि के लिए एकमुश्त तीन माह के वेतन देकर तत्काल प्रभाव से हटाया जा सकता है ।

(vi)[2] राष्ट्रपति को निदेशकों के पद की किसी भी रिक्त पद को भरने का अधिकार होगा, जिसमें अध्यक्ष और प्रबंध

[1] 13.03.2007 को आयोजित ईजीएम में पारित विशेष संकल्प के माध्यम से संशोधित।

[2] 13.03.2007 को आयोजित ईजीएम में पारित विशेष संकल्प के माध्यम से संशोधित।

निदेशक शामिल हैं, जो उनके द्वारा नियुक्त, इस्तीफा, मृत्यु या अन्यथा के कारण नियुक्त किए गए हैं और मौजूदा निदेशक के स्थान पर अध्यक्ष सहित किसी भी निदेशक को स्थानापन्न कर सकते हैं ।

वैकल्पिक निदेशक

35 एक निदेशक के स्थान पर, जो भारत से बाहर है या भारत से बाहर जाने वाला है या जो राज्य से 3 महीने से कम समय के लिए अनुपस्थित रहने की अपेक्षा करता है, जिस दौरान निदेशकों की बैठक आमतौर पर आयोजित की जाती है, राष्ट्रपति कंपनी के अध्यक्ष के साथ परामर्श से नियुक्त कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को वैकल्पिक निदेशक बनाया जा सकता है, यदि उस दौरान बोर्ड की बैठक सामान्य रूप से आयोजित की जाती है और इस तरह की नियुक्ति के माध्यम से वैकल्पिक निदेशक के रूप में यदि उसे कार्यालय में रखा जाता है तो वह बोर्ड की बैठकों की सूचना और उसके अनुसार उपस्थित होने और वहां मतदान करने का हकदार होगा ।

अपर निदेशक

35क[1] अधिनियम की धारा 161 (1) के प्रावधानों के अधीन, बोर्ड के पास किसी भी समय और समय-समय पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति को बोर्ड में एक अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त करने की शक्ति होगी, लेकिन ऐसे कुल निदेशक की संख्या कभी भी अनुच्छेदों के अनुसार अधिकतम संख्या छह से अधिक नहीं होगी। नियुक्त किया गया कोई भी निदेशक केवल कंपनी की अगली वार्षिक आम बैठक की तारीख तक ही कार्यालय में रहेगा, लेकिन फिर से नियुक्ति के लिए पात्र भी होगा ।

36 (i) राष्ट्रपति समय-समय पर अध्यक्ष या किसी भी निदेशक को ऐसे पद के लिए कंपनी के प्रबंध निदेशकों के रूप में नियुक्त कर सकते हैं और पारिश्रमिक दे सकता है जो वे उचित समझते हैं और समय-समय पर उसे या

[1] 16.09.2013 को आयोजित एजीएम में पारित विशेष संकल्प के माध्यम से शामिल और 27.09.2018 को आयोजित एजीएम में पारित विशेष संकल्प के माध्यम से संशोधित।

उन्हें पद से हटा सकते हैं । अनुच्छेद 35 के प्रावधानों के अनुसार उनकी जगह या उनके स्थान किसी अन्य निदेशक को नियुक्त कर सकते हैं । इस तरह के किसी भी कार्यालय में नियुक्त कोई भी निदेशक, यदि वह किसी भी कारण से अध्यक्ष या निदेशक का पद धारण करना बंद कर देता है, तो इस मामले में प्रबंध निदेशक के रूप में तुरंत ही निदेशक पद से हट जाएगा ।

(ii)[1] अधिनियम की धारा 179 और 180 के प्रावधानों के अधीन, बोर्ड समय-समय पर अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, निदेशक को उक्त समय के लिए यह कार्यभार सौंप सकता है जिसे वे उपयुक्त समझते हैं व ऐसे समय के लिए और ऐसी वस्तुओं और उद्देश्य के लिए और ऐसे नियमों और शर्तों पर और ऐसे निबंधों के साथ प्रयोग किया जा सकता है, जिसे वे समीचीन समझते हैं और समय-समय पर वापस ले सकते हैं, बदल सकते हैं या सभी या ऐसी किसी भी शक्तियों को समाप्त कर सकते हैं ।

अध्यक्ष की शक्तियां

37 (क) अध्यक्ष का वेतन राष्ट्रपति निर्धारित करेंगे, कोई भी प्रस्ताव निदेशक मंडल या किसी भी मामले में बोर्ड के समक्ष लाया जाता है जो कोई महत्वपूर्ण मुद्दा और जो उस खाते के लिए आरक्षित होने के लिए उपयुक्त है व जो अध्यक्ष की राय से होता है तो ऐसे में अध्यक्ष का निर्णय और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अध्यक्ष की अनुपस्थिति में इस तरह के महत्वपूर्ण मुद्दे पर कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा ।

(ख)[2] प्रावधानों की व्यापकता के पक्षपात के बिना, बोर्ड राष्ट्रपति के किसी भी निर्णय के लिए बाध्य होगा;

(i) उक्त राशि के लिए पूंजीगत व्यय का कोई भी कार्यक्रम जो लोक उपक्रम के दिनांक 9 अक्टूबर 1997

[1] 27.09.2018 को आयोजित एजीएम में पारित विशेष संकल्पके माध्यम से संशोधित।

[2] 05.08.2008 को आयोजित एजीएम में पारित विशेष संकल्पके माध्यम से उप खण्ड(ख) प्रतिस्थापित।

के कार्यालय ज्ञापन संख्या 11/36 / 97- वित्त में निर्धारित सीमा से अधिक है, को दिनांक 05 अगस्त 2005 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 18 (24) / 2003- जीएम - जीएल - 65 के साथ पढ़ा जाए । या फिर जैसा भी समय-समय पर यथा संशोधित हो।

(ii) विदेशी सहयोग से जुड़ी घटना कंपनी द्वारा दर्ज किए जाने का प्रस्ताव है

(iii) कंपनियों के राजस्व बजट में, घाटे का एक तत्व है जो सरकार से धन प्राप्त करके बनाया जाना प्रस्तावित है।

(iv) कंपनी के पूंजी बजट के विकास के लिए वार्षिक और पंचवर्षीय योजनाएं ।

(v) कंपनी का समापन

(vi) उपक्रम के पूरी या काफी हद तक बिक्री, पट्टे, निपटान ।

(vii) हटाया गया

(viii) सहायक कंपनियों का गठन, संयुक्त उद्यम, सार्वजनिक उपक्रम विभाग में प्रदान नहीं किए जाने वाले रणनीतिक भत्ते दिनांक 9 अक्टूबर 1997 के कार्यालय ज्ञापन संख्या11/36/97-वित्त को दिनांक 5 अगस्त 2005 के अंत: कार्यालय ज्ञापन सं.18(24)/2003-जीएम-जीएल-65 के साथ पढ़ें या फिर जैसा भी समय-समय पर यथा संशोधित हो।

निदेश जारी करने के लिए राष्ट्रपति की शक्तियां 38

इन सभी लेखों में कुछ भी शामिल नहीं होने के बावजूद, राष्ट्रपति समय-समय पर ऐसे निर्देश या निर्देश जारी कर सकते हैं, जिन्हें कंपनी के व्यवसाय और मामलों के संचालन के संबंध में आवश्यक माना जा सकता है और इस तरह से कोई भी निर्देश या निर्देश अलग-अलग हो सकता है। निदेशक निर्देश या जारी किए गए निर्देशों को तत्काल रूप से प्रभावी करेंगे । विशेष रूप से, राष्ट्रपति के पास अधिकार होंगे:

(i) राष्ट्रीय सुरक्षा या पर्याप्त जनहित से जुड़े मामलों में कंपनी को निर्देश देना और उसके कार्यों का प्रदर्शन करना।

(ii) कंपनी की संपत्ति और गतिविधियों के संबंध में ऐसे रिटर्न, खातों और अन्य जानकारी के लिए समय-समय पर आवश्यक हो सकता है।

(iii) पूर्ण या आंशिक रूप से स्वामित्व वाली कंपनियों या सहायक कंपनियों को अपनी साझी पूँजी में भागीदारी के बावजूद, ऐसी कंपनियों के संचालन को वित्तपोषित करना हो।

(iv) कंपनी के वार्षिक, लघु और दीर्घकालिक वित्तीय और आर्थिक उद्देश्यों के साथ परामर्श करने के लिए। बशर्ते कि अध्यक्ष द्वारा जारी किए गए सभी निर्देश अध्यक्ष को संबोधित लिखित रूप में होंगे। बोर्ड को छोड़कर अध्यक्ष का मानना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के हित के लिए अन्यथा आवश्यक है, कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए निर्देशों की सामग्री को शामिल करना और कंपनी की वित्तीय स्थिति पर इसके प्रभाव को भी इंगित करता है।

(v) साझेदारी में प्रवेश करने और मुनाफे को साझा करने की व्यवस्था के संबंध में निर्णय लेना ।

39 कंपनी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी और राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए निदेशकों के किसी भी आरक्षित प्रस्ताव या निर्णय का सम्मान तब तक किया जाएगा जब तक कि उसकी स्वीकृति प्राप्त नहीं हो जाती । राष्ट्रपति के पास ऐसे प्रस्तावों या निदेशकों के निर्णय को संशोधित करने की शक्ति होगी ।

कंपनी के निदेशकों/ अधिकारियों को कंपनी द्वारा प्रवर्तित कंपनियों में निदेशक के रूप में पदोन्नत करना

40[1] कोई निदेशक या इस कंपनी का कोई अधिकारी शायद इस कंपनी द्वारा प्रवर्तित किसी कंपनी का निदेशक या सदस्य बन सकता है या जिसमें वह एक विक्रेता, सदस्य या अन्यथा दिलचस्पी ले सकता है और ऐसा निदेशक के रूप में प्राप्त किसी भी लाभ के लिए जवाबदेह होगा ।

[1]13.03.2007 को आयोजित ईजीएम में पारित विशेष संकल्प के माध्यम से संशोधित और उसके बाद 27.09.2018 को आयोजित एजीएम में पारित विशेष संकल्प के माध्यम से संशोधित |

नोटिस देने का लोप	41	किसी निदेशक को निदेशकों की किसी भी बैठक की सूचना देने की आकस्मिक चूक किसी भी बैठक में पारित किसी भी प्रस्ताव को अमान्य नहीं करेगी ।
बोर्ड की बैठक में प्रश्नों पर निर्णय	42	निर्देशक कभी भी निर्देशकों की बैठक बुला सकते हैं । किसी भी बैठक में उठने वाले प्रश्नों का निर्णय बहुमत के मतों से किया जाएगा और वोटों की किसी भी समानता के मामले में, अध्यक्ष के पास एक दूसरा या निर्णायक वोट होगा।
बोर्ड-बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा	43	निदेशकों की सभी बैठकों की अध्यक्षता, अध्यक्ष द्वारा की जाएगी तथा अध्यक्ष अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा अध्यक्षता की जाएगी । यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों में से कोई भी बैठक में मौजूद नहीं है, तो निदेशकगण में से किसी एक को अध्यक्ष चुनते हैं ।
कोरम	43क[1]	निदेशकों के व्यवसाय के लेन-देन के लिए आवश्यक कोरम निदेशकों की कुल ताकत का एक तिहाई होगा (जो कुछ अंश एक तिहाई में समाहित किया जा रहा है) या दो निदेशकों में से जो भी अधिनियम में प्रदत्त है, उच्चतर होगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अन्य ऑडियो विजुअल साधनों द्वारा निदेशकों की भागीदारी या कंपनी अधिनियम या नियमों में उल्लिखित मामलों को छोड़कर कोरम के उद्देश्य के लिए गिना जाएगा ।
बोर्ड समिति का गठन कर सकता है	44[2]	अधिनियम की धारा 179 के प्रावधानों के अधीन बोर्ड अपनी किसी भी शक्ति को समिति में शामिल ऐसे सदस्य या उनके समिति को प्रदान कर सकते हैं या जैसा कि वे उचित समझते हैं, साथ ही वे समय-समय पर या ऐसे प्रतिनिधिमंडल को प्रदान की गई शक्तियों को रद्द कर सकते हैं। निदेशकों द्वारा गठित किसी भी ऐसी समिति को विनियमों के अनुरूप समय-समय पर शक्तियां

[1] 13.03.2007 को आयोजित ईजीएम में पारित विशेष संकल्प के माध्यम से शामिल और 27.09.2018 को आयोजित एजीएम में पारित विशेष संकल्प के माध्यम से संशोधित |

[2] 13.03.2007 को आयोजित ईजीएम में पारित विशेष संकल्प के माध्यम से संशोधित और उसके बाद 27.09.2018 को आयोजित एजीएम में पारित विशेष संकल्प के माध्यम से संशोधित |

		प्रत्यायोजित की जा सकती हैं। ऐसी समिति की कार्यवाही को निदेशक मंडल के सामने उसकी अगली बैठक में या तीन महीने की अवधि में आयोजित बोर्ड की बाद की बैठक में रखा जाएगा।
समिति की बैठकों का नियमन	45	दो या दो से अधिक सदस्यों वाली ऐसी किसी भी समिति की बैठकें और कार्यवाही निदेशकों की बैठकों और कार्यवाही को विनियमित करने के लिए अधिनियम के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित की जाएंगी, जबतक कि अनुच्छेदों के तहत निर्देशकों द्वारा पिछली बैठक में लागू किए गए नियमों को अधिरोपित नहीं करती हैं।
समिति की बैठकों का अध्यक्ष	46	समिति अपनी बैठकों में अध्यक्ष का चुनाव कर सकती है; यदि अध्यक्ष निर्वाचित नहीं होता है या यदि किसी बैठक में नियत किए गए समय के बाद 15 मिनट के भीतर अध्यक्ष उपस्थित नहीं होता है, तो उपस्थित सदस्यों में से बैठक के लिए अध्यक्ष का चुनाव किया जा सकता है।
बोर्ड की सामान्य शक्तियां	47	निदेशक मंडल कंपनी की स्थापना और पंजीकरण में आने वाले सभी खर्चों का भुगतान कर सकता है ।
निदेशकों को दी गई विशिष्ट शक्तियां	48	अधिनियम के प्रावधानों के अधीन और इन अनुच्छेदों द्वारा प्रदत्त सामान्य शक्तियों में पक्षपात के बिना, निदेशकों के पास निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात शक्तियां की जाएंगी:-
उपनियम बनाना		(1) समय-समय पर कानूनों, कंपनी के व्यवसाय के नियमों, इसके अधिकारियों और सेवकों को बनाने, बदलने और निरस्त करने के लिए;
ब्याज का भुगतान व प्रभारित करना		(2) कंपनी के पूंजी खाते का भुगतान और शुल्क और अधिनियम के प्रावधानों के तहत कानूनन देय ब्याज;
		(3) खरीदने के लिए, लीज पर लेने या अन्यथा कंपनी के संपत्ति अधिकारों या विशेषाधिकारों के लिए अधिग्रहण करने, जिसे कंपनी ऐसी कीमत पर हासिल करने के लिए अधिकृत है और आम तौर पर ऐसे नियम और शर्तों के अनुसार, जैसा कि वे उचित समझते हैं;

संपत्ति के लिए डिबेंचर के रूप में भुगतान

(4) कंपनी को प्रदान की गई आपकी सेवाओं द्वारा अर्जित किसी भी संपत्ति या अधिकारों का भुगतान करने के लिए, या तो पूरी तरह से या आंशिक रूप से नकदी में या शेयरों में, बॉन्ड, डिबेंचर, डिबेंचर स्टॉक या यह सुनिश्चित करता है कि या तो पूरी तरह से भुगतान किया जा सकता है या भुगतान की गई राशि के साथ जारी किया जा सकता है, के लिए सहमति व्यक्त की जा सकती है; और ऐसे किसी भी बॉन्ड, डिबेंचर, डिबेंचर स्टॉक या अन्य प्रतिभूतियों पर या तो विशेष रूप से कंपनी की संपत्ति जिसपर बिना पूंजी लगाए या ऐसा चार्ज नहीं किया गया है, के सभी या किसी भी हिस्से पर चार्ज किया जा सकता है;

रेहन के माध्यम से अनुबंध प्राप्त करना

(5) कंपनी द्वारा दर्ज किए गए सभी या किसी भी संपत्ति के बंधक या प्रभार और उसकी अवैतनिक पूंजी के समय या ऐसे अन्य तरीके से पूरा करने के लिए कंपनी के द्वारा दर्ज किए गए किसी भी अनुबंध या संलग्नक की पूर्ति को सुरक्षित रखने के लिए;

मध्यस्थता के लिए भेजना

(6) कंपनी द्वारा मध्यस्थता के लिए या उसके खिलाफ किसी भी दावे या मांग का उल्लेख करने और एवार्डों का निरीक्षण करने और प्रदर्शन करने के लिए;

राशि का निवेश

(7) भारतीय रिज़र्व बैंक या ऐसी प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है और किसी भी धन के साथ सौदा करना कंपनी के संघ के ज्ञापन द्वारा अधिकृत ऐसे निवेश पर है और इस तरह से जैसे वे उचित समझते हैं और समय-समय पर ऐसे निवेशों को अलग करने और महसूस करने के लिए;

बोनस देना

(8) कर्मचारियों या कंपनी के पूर्व कर्मचारियों या व्यवसाय में पूर्ववर्ती कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रदान करने के लिए और उनकी पत्नियों, विधवाओं और ऐसे कर्मचारियों के परिवार के आश्रितों जो घरों, आवासों के

भविष्य निधि का सृजन

निर्माण या निर्माण में योगदान करते हैं । पैसे, भत्ते, बोनस, लाभ के बंटवारे के बोनस या बॉड या किसी अन्य प्रकार का लाभ या लाभ और समय-समय पर सदस्यता और अन्य संघों, संस्थान, फंड्स प्रॉफिट शेयरिंग या अन्य योजना या ट्रस्ट या योगदान द्वारा या सदस्यता, शिक्षा और मनोरंजन के स्थानों, अस्पतालों और औषधालयों, चिकित्सा और अन्य उपस्थिति और सहायता के किसी अन्य रूप में योगदान या जैसा उचित समझें;

अन्य निधियों को स्वीकार करना

(9) वैज्ञानिक संस्थानों या वस्तुओं को धन की सहायता या गारंटी देना या अन्यथा

मूल्यह्रास व अन्य निधि का सृजन

(10) कंपनी के मुनाफे से बाहर किसी भी लाभांश की सिफारिश करने से पहले अलग सेट करने के लिए क्योंकि वे मूल्यह्रास या मूल्यह्रास निधि के लिए उचित सोच सकते हैं, आकस्मिकता या बीमा निधि या किसी विशेष या अन्य फंड को पूरा करने के लिए आरक्षित या आकस्मिक धन को पूरा करने के लिए या आरक्षित करने के लिए पुनर्भुगतान शेयरों और विशेष लाभांश के लिए और लाभांश को बराबर करने और मरम्मत और प्रतिस्थापन के लिए, कंपनी के गुणों के किसी भी हिस्से को सुधारने, विस्तार और बनाए रखने के लिए और ऐसे अन्य उद्देश्यों के लिए, क्योंकि निदेशकों के पूर्ण विवेक की रुचि व अनुकूल हैं। कंपनी और निवेश करने के लिए रकम या ऐसे निवेश पर निवेश करने की आवश्यकता के रूप में निदेशकों की बैठक में जैसा उचित समझा गया; और समय-समय पर इस तरह के निवेश से निपटने के लिए और अलग-अलग तरीके से और कंपनी के लाभ के लिए और इस तरह के उद्देश्यों के लिए सभी या किसी भी हिस्से को लागू करने और विस्तारित करने और विस्तार करने के लिए, क्योंकि उनके पूर्ण विवेक में निदेशक अपने हित के लिए

अनुकूल सोचते हैं। कंपनी इस बात पर ध्यान दिए बिना कि निदेशक आपूर्ति या उस दिन तक किस मामले का विस्तार करते हैं, या हो सकता है कि पूंजीगत धन कंपनी के लिए सही हो या लागू हो या खर्च हो और रिजर्व फंड को विभाजित करने के लिए हो। इस तरह के एक विशेष फंड को निदेशक उचित समझते हैं और कंपनी के व्यापार में मूल्यह्रास निधि सहित सभी या उपरोक्त धनराशि के सभी या किसी भी संपत्ति को खरीदने वाले कर्मचारी को, और अधिमान्य वरीयता शेयरों की खरीद या पुनर्भुगतान में शामिल किया जाता है। अन्य परिसंपत्तियों से अलग और भुगतान करने के लिए बाध्य किए बिना या उसी तरह ब्याज पर निदेशकों को अपने विवेक से भुगतान करने की अनुमति देने या इस तरह के ऋण का भुगतान करने की अनुमति देने के लिए बाध्य होने के बिना ऐसे ब्याज जो निदेशकों को उचित रूप से मिलते हैं और प्रति वर्ष 6% से अधिक नहीं हो;

पदों का सृजन

(11) ऐसे पदों को सृजित करने के लिए, जिनके अलावा नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, के रूप में वे कंपनियों के कुशल संचालन के लिए आवश्यक माने जा सकते हैं और वेतनमान और अन्य शर्तों को निर्धारित करने के लिए घटक इकाइयों के महाप्रबंधकों को छोड़कर वेतन का पैमाना राष्ट्रपति द्वारा तय किया जाएगा;

अधिकारियों की नियुक्ति

(12)[1] नियुक्ति और उनके विवरण पर ऐसे प्रबंधकों, सचिवों, अधिकारियों, एजेंटों और सेवकों को स्थायी, अस्थायी या विशेष सेवा से हटाने या निलंबित करने के लिए, जैसा कि वे समय-समय पर उचित और अपनी शक्तियों और कर्तव्यों का निर्धारण करने और अपने वेतन या परिलब्धियों को ठीक करने के लिए सोचते हैं। ऐसे

[1] 27.09.2018 को आयोजित एजीएम में पारित विशेष संकल्प के माध्यम से संशोधित |

उदाहरणों में प्रतिभूति की आवश्यकता होती है और ऐसी राशि जो वे उचित समझ सकते हैं और बिना किसी पूर्वाग्रह के भी समय-समय पर पूर्वोक्त रूप में भारत में किसी भी निर्दिष्ट इलाके में कंपनी के प्रबंधन और लेन-देन के लिए उपलब्ध कराने के लिए इस तरह से उचित होते हैं;

(13)[1] अधिनियम की धारा 179 के अधीन, निदेशकों में निहित समय के लिए सभी या किसी भी शक्तियां, प्राधिकरण और विवरणों को उप-प्रतिनिधि को सौंपना, हालांकि अंतिम नियंत्रण और प्राधिकरण द्वारा उनके अधीन बनाए रखा जाना;

शक्तियों को उप प्रत्यायोजित करने का प्राधिकार

(14) किसी भी ऐसे प्रतिनिधि या अटॉर्नी को पूर्वोक्त के रूप में निदेशकों द्वारा प्राधिकृत किया जा सकता है, जिसमें निहित सभी शक्तियों, प्राधिकारियों और विवरणों को उनके अधीन रखने के लिए अधिकृत किया जाए;

पैसे उधार देना

(15) सहायक और संबंधित संगठनों को ऐसे नियम और शर्तों पर धन उधार देना, जिसे वे उचित हैं।

मोहर

मोहर व उसकी अभिरक्षा

49 (क) निदेशक मंडल कंपनी के उद्देश्य के लिए एक सामान्य मोहर प्रदान करेगा और समय-समय पर उसी को नष्ट करने और बदले में एक नई मोहर को प्रतिस्थापित करने की शक्ति भी होगी। निदेशक मंडल सील की सुरक्षित अभिरक्षा भी प्रदान करेगा।

मोहर जारी करना

(ख)[1] कंपनी की मोहर को बोर्ड के किसी प्रस्ताव के अधिकार या बोर्ड की एक समिति द्वारा प्राधिकृत नहीं किया जाएगा, इसके लिए प्राधिकृत और कम से कम दो निदेशकों और सचिव या उनकी उपस्थिति को छोड़कर अन्य व्यक्तियों के रूप में बोर्ड उद्देश्य के लिए नियुक्त कर सकता है और निदेशक या ऐसे अन्य व्यक्ति ए 4 शीट पर उस उपकरण पर हस्ताक्षर करेंगे

[1] 13.03.2007 को आयोजित ईजीएम में पारित विशेष संकल्प के माध्यम से संशोधित |

कि कंपनी की मोहर उनकी उपस्थिति में चिपका दी गई है । हालांकि निदेशक किसी भी मशीन, उपकरण या अन्य यांत्रिक या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों जैसे कि धातु या लिथोग्राफी में उत्कीर्णन के माध्यम से हस्ताक्षरों में फिक्सिंग द्वारा शेयर डिबेंचर प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर कर सकते हैं लेकिन रबर स्टैम्प के माध्यम से नहीं, बशर्ते कि निदेशक इसके लिए ज़िम्मेदार हों। इस तरह के मशीन उपकरण या अन्य धातु की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए निदेशक उत्तरदायी होंगे ।

लाभ व लाभांश का विभाजन

लाभ का विभाजन

50[1]

(i) कंपनी के मुनाफे को लाभांश के भुगतान के लिए उपलब्ध किसी भी विशेष अधिकार से संबंधित है जो इन प्रस्तुत और अधिनियम के प्रावधानों के अधीन बनाया जाना या अधिकृत किया जाना है और पूंजी के परिशोधन के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए व सदस्यों द्वारा क्रमशः उनके द्वारा भुगतान की गई पूंजी की मात्रा के अनुपात में, बशर्ते कि कोई भी पूंजी उस अवधि के दौरान एक शेयर पर भुगतान करती है जिसके संबंध में एक लाभांश को केवल घोषित किया जाता है और भुगतान की तारीख से इस तरह के लाभांश की राशि की देयता प्रदान करता है।

(ii)[1] किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा किसी भी लाभांश की घोषणा नहीं की जाएगी या भुगतान नहीं किया जाएगा, उस वर्ष के लिए कंपनी के मुनाफे को छोड़कर, अधिनियम की धारा 123 के उप-धारा (2) के प्रावधानों के अनुसार मूल्यह्रास के लिए उपलब्ध कराने के बाद या बाहर किसी भी पिछले वित्तीय वर्ष या वर्षों के लिए कंपनी के लागू होने के बाद लागू होने वाले नुकसान के अनुसार मूल्यह्रास के लिए और शेष और वितरित या दोनों में से एक पैसे के बाहर सरकार

[1] 27.09.2018 को आयोजित एजीएम में पारित विशेष संकल्प के माध्यम से संशोधित।

द्वारा प्रदान किया जाता है व गारंटी के अनुसरण में लाभांश के भुगतान के लिए सरकार द्वारा दिया गया है। किसी भी लाभांश कंपनी के पक्ष में ब्याज नहीं देय होगा ।

(iii) पिछले पूर्ववर्ती अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए, कंपनी की राशि के रूप में लाभांश की घोषणा निर्णायक होगी।

(iv)[1] अधिनियम की धारा 123 के प्रावधानों के अधीन, जैसा कि कोई लाभांश संशोधित नहीं होगा, नकद में छोड़कर देय होगा।

(v) शेयरों का हस्तांतरण स्थानांतरण के बाद और हस्तांतरण के पंजीकरण से पहले अपने स्वयं के घोषित किसी भी लाभांश के अधिकार को पारित नहीं करेगा।

(vi) कई व्यक्तियों में से कोई भी, जो किसी भी शेयर के संयुक्त धारक के रूप में पंजीकृत हैं, ऐसे शेयरों के संबंध में लाभांश के लिए सभी लाभांश और भुगतान के लिए प्रभावशाली रसीदें दे सकते हैं।

(vii) जब तक अन्यथा निर्देशित किसी भी लाभांश का भुगतान चेक या डिमांड ड्राफ्ट द्वारा नहीं किया जा सकता है या वारंट ऐसे अन्य अनुमन्य साधन हैं, जो कि पंजीकृत सदस्य या उस व्यक्ति के पंजीकृत पते के लिए या संयुक्त होल्डिंग के मामले में है, जिसका नाम पहले खड़ा है। संयुक्त होल्डिंग और हर चेक के संबंध में रजिस्टर में, भेजे गए डिमांड ड्राफ्ट या वारंट को सदस्य या ऐसे व्यक्ति को देय होगा और ऐसे पते पर शेयरधारक या लिखित रूप में संयुक्त शेयरधारकों को निर्देशित कर सकते हैं।

कंपनी अपनी सामान्य बैठक में लाभांश घोषित कर सकती है	51	कंपनी मुझे आम तौर पर बैठक में लाभांश का भुगतान उनके संबंधित अधिकारों और मुनाफे में रुचि के अनुसार सदस्यों को करने की घोषणा करती है और भुगतान के लिए समय तय कर सकती है लेकिन कोई भी लाभांश बोर्ड द्वारा अनुशंसित राशि से अधिक नहीं होगा।

अंतरिम लाभांश	52	निदेशकों को समय-समय पर ऐसे सदस्यों को भुगतान किया जा सकता है जो उनके निर्णय में अंतरिम लाभांश के रूप में कंपनी की स्थिति को सही ठहराते हैं।
न चुकाया गया या बेदावा लाभांश	52क[1]	लावारिस लाभांश का कोई फ़र्ज़ नहीं होगा और कंपनी निवेशक शिक्षा और सुरक्षा कोष को लावारिस और अवैतनिक लाभांश के हस्तांतरण से संबंधित अधिनियम के लागू प्रावधानों का पालन करेगी या ऐसे किसी अन्य निधि के रूप में जो लागू कानूनों के तहत आवश्यक हो।
		लेखा
कंपनी की बही व लेखा का सदस्यों द्वारा निरीक्षण	53	निदेशक समय-समय पर यह निर्धारित करते हैं कि क्या और किस हद तक और किस समय और किस स्थान पर और किन शर्तों या विनियमों के तहत कंपनी या उनमें से किसी के खातों और पुस्तकों का निर्देशन किया जाएगा और सदस्यों के निरीक्षण के लिए खुला नहीं होगा। सदस्य को किसी भी खाते या पुस्तक या कंपनी के दस्तावेज का निरीक्षण करने का कोई अधिकार नहीं होगा सिवाय कानून द्वारा या बोर्ड द्वारा अधिकृत सामान्य बैठक में निर्णयानुसार ।
		लेखा परीक्षा
लेखा की वार्षिक लेखा परीक्षा	54	प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार कंपनी के खाते की जांच की जाएगी और लाभ और हानि खाते और बैलेंस शीट की शुद्धता का पता लगाया जाएगा ।
लेखा परीक्षक की नियुक्ति	55[2]	कंपनी के ऑडिटर को अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार भारत के कंप्यूटर और ऑडिटर जनरल द्वारा नियुक्त या पुन: नियुक्त किया जाएगा ।
नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की शक्तियां	56	भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पास निम्नानुसार शक्ति होगी: - (i) अनुच्छेद 55 के अनुसरण में नियुक्त ऑडिटर द्वारा

[1] 13.03.2007 को आयोजित ईजीएम में पारित विशेष संकल्प के माध्यम से शामिल |

[2] 13.03.2007 को आयोजित ईजीएम में पारित विशेष संकल्प के माध्यम से संशोधित |

		जिस तरह से कंपनियों के खातों का ऑडिट किया जाएगा, उसे निर्देशित करने के लिए और उनके कार्यों के प्रदर्शन से संबंधित किसी भी मामले के संबंध में इस तरह के ऑडिटर के निर्देश देना तथा (ii) ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा कंपनियों के खातों का अनुपूरक या परीक्षण ऑडिट कराने के लिए, जैसा कि वह अपनी ओर से फिट कर सकते हैं और इस तरह के ऑडिट के उद्देश्य से किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को सूचना की अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता होती है और ऐसे रूप में नियंत्रक या महालेखा परीक्षक सामान्य या विशेष आदेश प्रत्यक्ष द्वारा हो सकता है। (iii) पूर्वोक्त ऑडिटर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को अपनी ऑडिट रिपोर्ट की एक प्रति प्रस्तुत करेगा, जिसे ऑडिट रिपोर्ट पर इस तरह से टिप्पणी करने या पूरक करने का अधिकार होगा, जैसा कि वह उचित समझे। (iv) ऑडिट रिपोर्ट के लिए इस तरह की कोई टिप्पणी या ऑडिट रिपोर्ट की तरह ही कंपनी की वार्षिक आम बैठक से पहले रखा जाएगा।
बैठक में सम्मिलित होने के लिए लेखा परीक्षक के अधिकार	57	कंपनी के लेखा परीक्षकों को उस नोटिस को प्राप्त करने और कंपनी की किसी भी आम बैठक में भाग लेने का अधिकार होगा, जिस पर जिन खातों की जांच की गई है या उनके द्वारा रिपोर्ट की गई है, उन्हें कंपनी के समक्ष रखा जाएगा और वे खातों के संबंध में कोई भी बयान या स्पष्टीकरण दे सकते हैं ।
कब लेखा अंतत: तय माना जाए	58	कंपनी का प्रत्येक खाता जब आम बैठक द्वारा लेखा परीक्षित और अनुमोदित किया जाएगा, तो वह निर्णायक होगा ।
		नोटिस
सदस्यों की मृत्यु या दिवालिया	59	किसी व्यक्ति को मृत्यु के परिणाम में हिस्सेदारी के लिए

होने पर अधिग्रहित शेयरों पर नोटिस		कंपनी द्वारा नोटिस दिया जा सकता है या किसी सदस्य को इसे तैयार पत्र में पोस्ट के माध्यम से भेजकर नाम से या मृतक या असाइनमेंट के शीर्षक या प्रतिनिधियों द्वारा संबोधित किया जा सकता है। दिवालिया या भारत में पते पर किसी भी तरह के विवरण के लिए इस प्रयोजन के लिए आपूर्ति की जाती है, जिसके लिए दावा किया जाता है या मौत या दिवालियेपन नहीं की स्थिति न होने पर जब तक कि इस तरह के पते को किसी भी तरीके से नोटिस देकर आपूर्ति नहीं की गई हो।
परिसंपत्तियों का वितरण	60	यदि कंपनी बंदी हो जाती और सदस्यों के बीच वितरण के लिए उपलब्ध परिसंपत्तियां भुगतान के अपर्याप्त होंगी, तो भी ऐसी परिसंपत्तियां वितरित की जाएंगी, ताकि नुकसान का वहन किया जा सके । पूँजी के अनुपात में सदस्यों को उनके द्वारा रखे गए शेयरों पर क्रमशः, और यदि समापन हो रहा है, तो शुरू होने पर भुगतान किया जाएगा यदि सदस्यों के बीच वितरण के लिए उपलब्ध संपत्ति पूरी की पूरी चुकाने के लिए पर्याप्त से अधिक होगी । भुगतान की गई पूंजी, ऐसी परिसंपत्तियों को मूल भुगतान की गई पूंजी के अनुपात में सदस्यों के बीच क्रमशः उन शेयरों के रूप में वितरित किया जाएगा । लेकिन यह खंड विशेष नियमों और शर्तों पर जारी किए गए शेयरों के धारक के अधिकारों के पक्षपात के बिना होगा ।
		गोपनीयता
गोपनीयता की धारा	61	कोई भी सदस्य निदेशक की अनुमति के बिना कंपनियों के काम पर जाने या निरीक्षण करने या कंपनियों के व्यापार के किसी भी विवरण या किसी भी मामले में किसी भी जानकारी का सम्मान करने या किसी भी जानकारी की आवश्यकता के लिए हकदार नहीं होगा, जो व्यापार गुप्त या गुप्त प्रक्रिया की प्रकृति में है। जो कंपनी के व्यवसाय के संचालन से संबंधित हो सकता है और जो निदेशकों की राय में कंपनी के सदस्यों के हित में जनता से संवाद

करने में समीचीन होगा।

क्षतिपूर्ति व उत्तरदायित्व

निदेशक व क्षतिपूर्ति के अन्य अधिकार	62[1]	(i) कंपनी अधिनियम की धारा 197 के प्रावधानों के अधीन, कंपनी के प्रत्येक निदेशक, मुख्य, लेखा परीक्षक, सचिव या अन्य अधिकारी या कर्मचारी द्वारा कंपनी के खिलाफ निंदा की जाएगी और यह कंपनी के कोष से बाहर के निदेशकों का कर्तव्य होगा सभी लागतों, नुकसानों और खर्चों का भुगतान करने के लिए, जो किसी भी ऐसे निदेशक, प्रबंधक, अधिकारी या कर्मचारी को हो सकता है, जो किसी अनुबंध के कारण या उसके द्वारा किए गए या उसके द्वारा किए गए अनुबंध, प्रबंधक, अधिकारी या नौकर के रूप में किए गए अनुबंध को खरीदने के लिए उत्तरदायी होगा किसी अन्य तरीके से अपने कर्तव्यों के निर्वहन में और जिस राशि के लिए ऐसी क्षतिपूर्ति प्रदान की जाती है, वह तुरंत कंपनी की संपत्ति पर ग्रहणाधिकार संलग्न कर देगी और अन्य सभी दावों पर सदस्यों के बीच प्राथमिकता होगी। (ii) कंपनी के हर निदेशक, प्रबंधक या अधिकारी के विरोध के रूप में, उसके द्वारा या किसी भी कार्यवाही का बचाव करने में किसी भी दायित्व के खिलाफ निंदा की जाएगी, चाहे वह सिविल या आपराधिक जिसमें निर्णय उसके पक्ष में दिया गया हो या जिसमें वह या वे बरी हो गए हों या अधिनियम की धारा 463 के तहत किसी भी आवेदन के संबंध में जिसमें अदालत द्वारा उसे या उन्हें राहत दी जाती है।
अन्य के कृत्यों के लिए उत्तरदायी न होना	63[2]	अधिनियम के अनुभाग 197 के प्रावधानों के अधीन, कोई भी निदेशक, प्रबंधक या कंपनी का कोई अन्य अधिकारी किसी अन्य निदेशक या अधिकारी के कृत्यों, प्राप्तियों, उपेक्षा ऑडी दोषों के लिए या किसी रसीद में शामिल होने

[1] 27.09.2018 को आयोजित एजीएम में पारित विशेष संकल्प के माध्यम से संशोधित।

[2] 27.09.2018 को आयोजित एजीएम में पारित विशेष संकल्प के माध्यम से संशोधित।

के लिए या अन्य अधिनियमों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। कंपनी के लिए या उसकी ओर से या उसके लिए किसी भी सुरक्षा की अपर्याप्तता या कमी के लिए निदेशकों के आदेश द्वारा अर्जित किसी भी संपत्ति के लिए अपर्याप्तता या शीर्षक की कमी के माध्यम से कंपनी को होने वाली अनुरूपता या किसी भी हानि व्यय के लिए कंपनी का निवेश या किसी भी व्यक्ति, कंपनी या निगम के दिवालिया होने, दिवाला या अत्याचार से होने वाले नुकसान या क्षति के लिए किया जाएगा, जिसके साथ कोई भी पैसा, प्रतिभूतियां या प्रभाव दिलचस्पी या जमा किए जाएंगे या किसी भी नुकसान के लिए किसी त्रुटि की खरीद करेंगे। अपने या अपने मार्ग पर या किसी अन्य हानि या क्षति या दुर्भाग्य के बारे में निर्णय या निरीक्षण अपनी ही बेईमानी से होता है।

ग्राहक का नाम, पता, विवरण तथा व्यवसाय, यदि हो	**अभिदाता के हस्ताक्षर**	**गवाहों के हस्ताक्षर व उनका पता, विवरण व व्यवसाय/ यदि हों**
1. भारत के राष्ट्रपति को ऊर्जा मंत्रालय में भारत सरकार के सचिव श्री आर.वी.सुब्रमन्यन सुपुत्र श्री पी.एस.रामा अय्यर के माध्यम से	हस्ता/- श्री आर.वी.सुब्रमन्यन	हस्ता/- अरूण भटनागर, उप सचिव, विद्युत विभाग, नई दिल्ली
2. ऊर्जा मंत्रालय में भारत सरकार के संयुक्त सचिव श्री आर.सी.भार्गव सुपुत्र श्री एम.पी.भार्गव	हस्ता/- श्री आर.सी.भार्गव	हस्ता/- इंद्रजीत सिंह कामरा, अवर सचिव, विद्युत विभाग, नई दिल्ली
3. वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में निदेशक श्री एस.टी.वीराघवन सुपुत्र श्री (स्व.) श्री एस.टी.चक्रवर्ती	हस्ता/- श्री एस.टी.वीराघवन	हस्ता/- प्रभाग अधिकारी, विद्युत विभाग, नई दिल्ली

COMPANY NO. 05-32564.

(SECTION 18(3) OF COMPANIES ACT, 1956)

The M/s. NATIONAL HYDROELECTRIC POWER CORPORATION LIMITED having by Special Resolution altered the provisions of its Memorandum of Association with respect to place of the Registered Office by changing it from the NCT of Delhi to the State of Haryana and such alteration having been confirmed by an order of CLB, Northern Region C.P.No. 322/17/94-CLB bearing the date 25th January, 1995.

I hereby certify that a certified copy of the said order has this day been registered.

Given under my hand at NEW DELHI this Twenty Third day of February One Thousand Nine Hundred and Ninety Five.

(V.S. GALGALI)
REGISTRAR OF COMPANIES,
NCT OF DELHI & HARYANA.